

स० सं० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
अधीक्षक,
महावीर कैसर सस्थान,
फुलवारी शरीफ, पटना-801505

पटना, दिनांक

विषय—“मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 21.01.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	प्रविन्द्र साहु पिता—महेद्र साह ग्राम—पटनिया पो०—पटनिया थाना—बिरौल जिला—दरभंगा एम०सी०एस—जी० 6448	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	शिव नारायण साह पिता—बिन्देश्वरी साह ग्राम—बजरगबली मंदिर बनियापटी, दमैली के पास पो०—सझाघाट थाना—मीरगज जिला—पूर्णिया एम०सी०एस—एफ 74462	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
3	पिकी देवी पति—श्याम कुमार चौधरी ग्राम—गोविन्दपुर पोस्ट—लहेरिया सराय थाना—बहादुरपुर जिला—दरभंगा एम०सी०एस—ई० 84045	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।

4	राजेन्द्र यादव पिता-स्व0जलधर यादव ग्राम-मानिक पथडा पोस्ट-पथडा थाना-फुल्लीडुमर जिला-बाका एम0सी0एस-जी0 8386	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
5	गुडडु कुमार पिता-राम स्वरूप चौधरी ग्राम-छकौडी बिगहा पो0-चोवार थाना टनकुप्पा जिला गया एम0सी0एस-जी0 9928	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
6	दरुदन खातुन पति-मो0 सैयद ग्राम-लालपुर पो0-सुगमा थाना-बनमा इटहरी जिला-सहरसा एम0सी0एस-जी0 7109	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
7	धीरज कुमार पिता- बबन बजारा ग्राम-कुर्था बाला वार्ड 07 पोस्ट-कुर्था थाना-कुर्था जिला अरवल एम0सी0एस-जी0 10288	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
8	माधवी देवी पति-कामेश्वर मंडल ग्राम-शकर रोहार पो0-बिठौली थाना-बहेडी जिला-दरभंगा एम0सी0एस-जी0 7174	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
9	उमा देवी पति-जगलाल राम ग्राम-रामपुर पोस्ट-एकमा थाना-रसूलपुर जिला-सारण एम0सी0एस-जी0 9702	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
10	शकील अहमद पिता-मोहम्मद जान ग्राम-इंदरबा शाकिर पोस्ट-थावे थाना-गोपालगज जिला-गोपालगज एम0सी0एस-जी0 8190	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।

11	शादाब आलम पिता-रफीउर रहमान ग्राम-बीरपुर पोस्ट- बिशनपुर थाना-बहादुरगज जिला-किशनगज एम0सी0एस-जी0 3325	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
12	शिवदास सिंह पिता-रामजग सिंह ग्राम+पो0-धनबकहारा थाना-नावानगर जिला-बक्सर एम0सी0एस-जी0 10158	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
13	ज्ञान्ति देवी पति-बुधराम पडित ग्राम-चकरवाँ खास पोस्ट+थाना-भोरे जिला-गोपालगज एम0सी0एस-एफ 30032	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
14	सावित्री देवी पति-दारा यादव ग्राम+पो0-लाला टोला बगही थाना-योगापट्टी जिला- प0 चम्पारण एम0सी0एस-जी0 10062	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
15	नाजमा खातुन पति-मो0 अलाउद्दीन खान ग्राम-काशी तकिया पो0-बिहार शरीफ थाना-लहेरी जिला-नालदा एम0सी0एस-जी0 4462	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
16	नीरज कुमार पिता-पवन महतो ग्राम+पो0-भेरोखरा थाना-पातेपुर जिला-वैशाली एम0सी0एस-जी0 7617	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
17	अन्तरा कुमारी पिता विजय कुमार गुप्ता ग्राम-मशापुर पोस्ट-मशापुर थाना-लौकही जिला-मधुबनी एम0सी0एस-डी0 88653	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।

18	हसन बानो पति—मुसफीक आलम ग्राम—पिपरा पोस्ट—बीबीगज थाना—बीबीगज जिला—किशनगज एम0सी0एस—जी0 4679	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
19	नुनु देवी पति—कपिलदेव मडल ग्राम+पो0—अचलपुर थाना—राघोपुर जिला वैशाली एम0सी0एस—एफ 87726	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
20	रेखा देवी पति—रामाशंकर भगत ग्राम—ओम नगर वार्ड 08 पोस्ट—अररिया थाना+जिला—अररिया एम0सी0एस—जी0 10023	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
21	उमा देवी पति—सुदर्शन सिंह ग्राम+पो0—बरौव कला थाना—अकोढी गोला जिला—रोहतास एम0सी0एस—जी0 95560	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
22	सीता राम महतो पिता—जागो महतो ग्राम+पो0—बछौता थाना मोरकाही जिला—खगडिया एम0सी0एस—एफ 72049	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
23	वृजेश पटवारी पिता—रमेश्वरी पटवारी ग्राम—मस्जिदवा पोस्ट—शरवा मस्जिदवा थाना—मटियरिया जिला—प0 चम्पारण एम0सी0एस—जी0 2710	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
24	हरि साव पिता— लखन साव ग्राम—सहदत नगर पोस्ट—जैतिया थाना धनरूआ जिला—पटना एम0सी0एस—एफ 49262	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।

25	मनीषा कुमारी पति-बिरजु पासवान ग्राम-चकचमेली वार्ड 10 पो0-सराय थाना-हाजीपुर सदर जिला-वैशाली एम0सी0एस-जी0 9011	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
26	राम कुमार महतो पिता-स्व0 तपलेश्वर महतो ग्राम-बाजितपुर डुमरी पोस्ट-नयागज थाना-देसरी जिला-वैशाली एम0सी0एस-जी0 7141	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
27	नवल भगत पिता-राम विलास भगत ग्राम-नौवाचक पोस्ट-नौवाचक थाना-पातेपुर जिला वैशाली एम0सी0एस-जी0 2909	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
28	रामनाथ सिंह पिता- रामेश्वर सिंह ग्राम-बढमुआ पो0-बेला थाना-दरियापुर जिला-सारण एम0सी0एस-जी0 8365	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
29	सुनरपती देवी पति-मनमोहन सिंह कुशवाहा ग्राम-कराह बिरति टोला पो0-बनियापुर थाना-बनियापुर जिला-सारण एम0सी0एस-एफ 93587	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
30	राजीव राम पिता-असर्फी राम ग्राम-सोहरथी पोस्ट-सोहरथी थाना-जन्दाहा जिला वैशाली एम0सी0एस-जी0 9735	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
31	प्रतिमा कुमारी पति-जय राम प्रसाद ग्राम-बलवापर पोस्ट-चकवाय थाना-वारसलीगज जिला-नवादा एम0सी0एस-एफ 99086	बोन मैरो ट्रास्प्लान्ट	4,00,000	चार लाख स्वीकृत।

32	बलिराम पाण्डेय पिता-स्व० गोविन्द पाण्डेय ग्राम-रूप सागर पो०-रूप सागर थाना-नावानगर जिला-बक्सर एम०सी०एस-एफ 38617	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
33	बिनोद राम पिता भोला राम ग्राम-लक्ष्मीपुर पोस्ट-पीरी बाजार थाना-पीरी बाजार जिला-लखीसराय एम०सी०एस-जी० 8863	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
34	बडकु किस्कु पिता-डोमन किस्कु ग्राम-लीला संधाल टोला वार्ड 5, पोस्ट-श्रीपुर थाना-धमदाहा जिला-पूर्णिया एम०सी०एस-एफ 77488	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
35	दाय सुन्दरी देवी पति-स्व० मदन महतो ग्राम-देवधा पो०-गीता देवधा थाना-हसनपुर जिला-समस्तीपुर एम०सी०एस-एफ 99293	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
36	कामेदव कुमार पिता-लाल महतो ग्राम-तरबन्ना पोस्ट-पचवीर थाना-साहेबपुर कमाल जिला बेगुसराय एम०सी०एस-जी० 9674	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
37	जाहिदा खातुन पति-मो० जाकिर हुसैन ग्राम-धनावान पो०-अर्थुआ थाना-कासमा जिला औरंगाबाद एम०सी०एस-जी० 8916	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
38	सरस्वती देवी पति-करपुरी ठाकुर ग्राम-बाली ओ०पी० पहरावली पो०-पहरा थाना-परैया जिला-गया एम०सी०एस-जी० 5255	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

39	सुदामा देवी पति-सम्पत चौधरी ग्राम-बरवा फार्म पो0-खरपोखरा थाना-बगहा जिला-प0 चम्पारण एम0सी0एस-जी0 9463	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
40	गीता देवी पति-मकेश्वर साह ग्राम-बडी केवाल वार्ड 6 पो0-रजौर थाना गढपुरा जिला-बेगुसराय एम0सी0एस-जी0 8870	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
41	सावित्री देवी पति-गौरी शकर प्र0 कुशवाहा ग्राम-सिसवा खुर्द पो0-लभेरी थाना-मैरवा जिला सीवान एम0सी0एस-ई0 91278	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
42	प्रवीण खातुन पति-मो0 हसनैन ग्राम-लोहार टोली इस्लामपुर पोस्ट+थाना-इस्लामपुर जिला-नालदा एम0सी0एस-जी0 3921	कैसर रोग	30,000	तीस हजार स्वीकृत
43	राम कली देवी पति-राम कैलाश कुशवाहा ग्राम-पिपरा कुट्टी ठारी पो0+थाना-बाल्मीकीनगर जिला-प0 चम्पारण एम0सी0एस-जी0 9763	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
44	मैमुल खातुन पति-अली हसन मिया ग्राम-कोन्हवा पो0-पसरमा थाना+जिला गोपालगज एम0सी0एस-जी0 8396	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
45	मो0 नेहाल पिता-मो0 नाजीर ग्राम-बडी इब्राहीमपुर पो0-इब्राहीमपुर थाना सबौर जिला-भागलपुर एम0सी0एस-जी0 9643	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।

46	राज किशोर प्रसाद पिता-स्व० राजेन्द्र प्रसाद ग्राम-बाहरी बेगमपुर मडई पर पटना सिटी, पो०-बेगमपुर थाना-बाईपास जिला-पटना एम०सी०एस-एफ 64959	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
47	शोभा देवी पति-नेती सिंह ग्राम+पो०-बदिया थाना-गोगरी जिला-खगडिया एम०सी०एस-जी० 9649	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
48	गोदामी देवी पति-रामेश्वर यादव ग्राम-मच्छरगावा पो० नौतन दुबे थाना-बैरिया जिला-प० चम्पारण एम०सी०एस-एफ 85856	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
49	लक्ष्मी देवी पति-गणेश यादव ग्राम-चटनमा पोस्ट-पुरैनी वंशगोपाल थाना-पुरैनी जिला-मधेपुरा एम०सी०एस-जी० 9167	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
50	रामेश्वरी सहनी पिता-मुशी सहनी ग्राम-डगरपर पो०-तारतर थाना-घोसवरी जिला-पटना एम०सी०एस एफ 82091	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
51	अनिता देवी पति-सतोष कुमार राय ग्राम-कुम्हिला पो०-अररूआ थाना-करगहर जिला-रोहतास एम०सी०एस-एफ 53055	कैसर रोग	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।
52	निशा देवी पति-किशोर साह ग्राम+पो०-तेघडा थाना-हवेली खडगपुर जिला-मुगेर एम०सी०एस-जी० 6551	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

53	फरीदा खातुन पति-अल्ताफ हुसैन ग्राम-पुरानी किला पोखरा पोस्ट-सीवान थाना-सराय ओपी जिला-सीवान एम०सी०एस-जी० 9424	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
54	मुन्नी देवी पति-सजय गोड ग्राम-बडका राजपुर वार्ड 12 पो-बडका राजपुर थाना-सिमरी जिला-बक्सर एम०सी०एस-एफ 88982	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
55	वीणा देवी पति-सत्यनारायण साहु ग्राम-सुघराईन पो-सुघराईन थाना-कु० स्थान जिला-दरभंगा एम०सी०एस-जी० 9653	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
56	मधु कुमारी पिता-देबु राय ग्राम-लोहना सुकलरहि पो-लोहना रोड थाना-भैरव स्थान जिला-मधुबनी एम०सी०एस-जी० 1510	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
57	अखिलेश पडित पिता-स्व० मोती पडित ग्राम-शेरवा पो-रामपुर थाना-भगहा जिला-प० चम्पारण एम०सी०एस-जी० 10002	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
58	सीमा प्रवीण पिता-अनवर हुसैन ग्राम-बाग मालू खौ मगल तालाब पो-झाउगज थाना-चौक जिला-पटना एम०सी०एस-जी० 9988	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
59	चम्पा कुवर पति-परशुराम राय ग्राम-महुली पोस्ट-रामपुर अतौली थाना-इसुआपुर जिला-सारण एम०सी०एस-ई० 97369	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

60	खुशबु कुमारी पिता-प्रमोद कुमार कमोद ग्राम-मसदी पो0-सुल्तानगज थाना-सुल्तानगज जिला भागलपुर एम0सी0एस-जी0 9486	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
61	शिवनाथ सिंह पिता-बासुदेव सिंह ग्राम-जहानपुर पो0-ककढिया थाना खैरा जिला-सारण एम0सी0एस-जी0 9080	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
62	गोरकी देवी पति-अनिल प्रसाद ग्राम-रानीपुर के चक वार्ड 56 पो0-बेगमपुर थाना-बाईपास जिला-पटना एम0सी0एस-जी0 7724	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
63	राजेन्द्र दास पिता-जमुनी दास ग्राम-पो0-फर्रे थाना चौथम जिला खगडिया एम0सी0एस-जी0 10361	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
64	मो0 हजारी पिता-जमाल ग्राम-धपरसिया पचायत धपरसिया, पो0-चौकी धपरसिया, थाना-कदवा जिला कटिहार एम0सी0एस-जी0 9889	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
65	इकबाल अंसारी पिता-मोसाफिर असारी ग्राम-मुडा पो0-चडी स्थान थाना-गोविन्दगज जिला पूर्वी चम्पारण एम0सी0एस-जी0 9815	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
66	नेहा कुमारी पिता केशरी कुमार सिंह ग्राम-चिलहर वार्ड 4 पोस्ट-चिलहर थाना-अजिमाबाद जिला-भोजपुर एम0सी0एस-जी0 98406	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

67	शोभा देवी पति-कमलेश सिंह ग्राम-नगवा गढ पो0-नगवा थाना-गुरुआ जिला-गया एम0सी0एस-जी0 8454	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
68	शिव कुमार पिता-बुलाकी राय ग्राम-गवाल टोली मोहल्ला चुनौती कुआ, पो0-थाना-फुलवारीशरीफ जिला-पटना एम0सी0एस-जी0 9673	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
69	ढोको पटेल पिता-सुखो पटेल ग्राम-कटधारा वार्ड 10 पो0-फुदकीचक थाना गोगरी जिला-खगडिया एम0सी0एस-एफ 52853	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
70	भोला नाथ सिंह पिता-उमा नाथ सिंह ग्राम-सिरसिया पो0-सिरसिया थाना-बी0 कोठी जिला पूर्णिया एम0सी0एस-जी0 7930	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
71	मिथिलेश कुमार पिता-स्व0 रामजी प्रसाद ग्राम-कयारी हिल रोड गया पोस्ट-गया थाना-चन्दौती जिला-गया एम0सी0एस-ई0 41108	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
72	पुजा कुमारी पिता-राजा कुमार सोनी ग्राम-शिव कला मंदिर सोनार टोली, पोस्ट-झाउगज थाना-खाजेकला जिला-पटना एम0सी0एस-एफ 15654	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
73	गोपाल शर्मा पिता-स्व0 सरजु शर्मा ग्राम-धोकरी टोला पोस्ट-हसवाडीह थाना-पीरो जिला-भोजपुर एम0सी0एस-जी0 8640	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

74	खुशी कुमारी पिता-सियाराम मोदी ग्राम-मोहदी नगर पो0-मोहदी नगर थाना-हलसी जिला लखीसराय एम0सी0एस-एफ 88638	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
75	सुविधा देवी पति-महेन्द्र प्रसाद ग्राम-गौरागर पो0+थाना बिहार शरीफ जिला नालन्दा एम0सी0एस-जी0 7290	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
76	उर्मिला देवी पति-सहदेव राम ग्राम-जगनपुरा पोस्ट-न्यु जगनपुरा थाना-रामकृष्णा नगर जिला- पटना एम0सी0एस-जी 9881	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
77	रामानंद सिंह पिता-धनेश्वर सिंह ग्राम-महमदपुर 12 पोस्ट-बढेता थाना-परस बिगहा जिला-जहानाबाद एम0सी0एस-जी0 8217	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
78	निशा कुमारी पिता-मुकेश कुमार यादव ग्राम+पोस्ट-शेखपुरा थाना-भरगामा जिला अररिया एम0सी0एस-जी0 9703	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
79	अशु प्रिया पिता-रत्नेश कुमार ग्राम-टरमा कालवारी 15 पोस्ट-कलवारी थाना-काँटी जिला-मुजफ्फरपुर एम0सी0एस-जी0 10368	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
80	नीरपत देवी पति-भभीखन राउत ग्राम छोटा परेउवा पो0-रक्सौल थाना-रक्सौल जिला-पूर्वी चम्पारण एम0सी0एस-जी0 9038	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

81	धीरेन्द्र कुमार मेहता पिता-बालगोविन मेहता ग्राम-मधुबनी पो0-मधुबनी थाना-ललितग्राम जिला-सुपौल एम0सी0एस-एफ 86962	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
82	जग्गु सहनी पिता-कालो सहनी ग्राम-34 सब्जीबाग मेवा कुटी गली, दरियापुर पो0-बाकीपुर थाना-पीरबहोर जिला-पटना एम0सी0एस-जी0 10191	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
83	मालती देवी पति-बिरेन्द्र कुमार सिंह ग्राम-अहिले पोस्ट-कुरमीचक थाना-नारायणपुर जिला-भोजपुर एम0सी0एस-एफ 82004	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
84	अनिता देवी पति-सजय कुमार राय ग्राम-चहपुरा पोस्ट-सढवारा थाना-इसुआपुर जिला-सारण एम0सी0एस-जी0 1821	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
85	प्रवीण कुमार पिता-प्रमोद कुमार सिंह ग्राम-अहियापुर पोस्ट-पैनाल थाना-बिहटा जिला-पटना एम0सी0एस-एफ 94928	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
86	पनतावा देवी पति-योगेन्द्र यादव ग्राम-महुडर पोस्ट-लालपुर थाना-कौवाकोल जिला नवादा एम0सी0एस-एफ 67528	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
87	सुशील मडल पिता-सुकदेव मडल ग्राम-कमालपुर पोस्ट-पीरपैती थाना-पीरपैती जिला-भागलपुर एम0सी0एस-जी0 7909	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

88	रेशमी देवी पति-रामगती सिंह ग्राम-अब्दुलपुर पोस्ट-महुआ थाना-महुआ जिला वैशाली एम0सी0एस-एफ 47157	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
89	कमरून निशा पति-मो0 पुसा ग्राम-भगताहीर खारी पोस्ट+थाना अमौर जिला-पूर्णिया एम0सी0एस-जी0 9788	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
90	लक्ष्मी देवी पति-तारा नन्द झा ग्राम+पो0-कुशमौल थाना-भरगामा जिला-अररिया एम0सी0एस-ई0 36868	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
91	मुर्शिदा खातुन पति-मो0 आरजु ग्राम-बिस्फी हाट पो0-बिस्फी थाना-बिस्फी जिला मधुबनी एम0सी0एस-एफ 82180	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
92	चन्द्रकला देवी पति-अजीत सिंह ग्राम+पो0-धरहारा थाना-धरहारा जिला-मुगेर एम0सी0एस-एफ 56221	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
93	खेलती देवी पति-रामो सदा ग्राम-सुल्तानपुर पोस्ट-बेरी थाना-के0 स्थान जिला-दरभंगा एम0सी0एस-एफ 94499	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
94	नीतु देवी पति-सुरेन्द्र महतो ग्राम-बनकटवा दोन पो0-शेरवा दोन थाना-गोबरहिया जिला-प0 चम्पारण एम0सी0एस-जी0 8950	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

95	बेबी देवी पति-गोरख राम ग्राम-चादपट्टी पो-पिउली थाना-मीरगज जिला गोपालगज एम0सी0एस-जी0 2243	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
96	कैली देवी पति-राम प्रीत महतो ग्राम-डिहुली इसहाक पोस्ट-डिहुली बुजुर्ग थाना सकरा जिला-मुजफ्फरपुर एम0सी0एस-जी0 9986	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
97	अयाश कुमार पिता-इन्द्रदेव कुमार ग्राम+पो-खरगी तिरासी थाना-गगोर जिला-खगडिया एम0सी0एस-जी0 2679	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
98	राधिया देवी पति-राजीन्द्र यादव ग्राम-दुर्गापुर पो-रूपनी थाना-बहादुरगज जिला-किशनगज एम0सी0एस-एफ 98786	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
99	बटी कुमार पिता-कैलाश विश्वकर्मा ग्राम-गोलघर नई पुलिस लाईन के सामने पो-जी0पी0ओ0 थाना-गाधी मैदान जिला-पटना एम0सी0एस-एफ 10226	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
100	किरण देवी पति-राम ईश्वर सिंह ग्राम-धोबहा वार्ड 5पो-धोबहा था-धोबहा जिला-भोजपुर एम0सी0एस-जी0 9685	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
101	सुभाष चौधरी पिता-हरिनदन चौधरी ग्राम-इटवा पोस्ट-दोघडा थाना-बिहटा जिला-पटना एम0सी0एस-जी0 9398	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

102	सुप्रिया सिंह पति-अमित सिंह ग्राम-जय प्रकाश नगर पोस्ट+थाना-मनेर जिला-पटना एम0सी0एस-जी0 9176	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
103	शकर पासवान पिता-भागवत पासवान ग्राम-मिल्की पोस्ट-मक्खा तकिया थाना-नवगछीया जिला भागलपुर एम0सी0एस-जी0 9484	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
104	मोहनी तिवारी पति-अमरदीप कुमार मिश्रा ग्राम-जगत बिहार कोलनी पो0-आशियाना थाना-राजीव नगर जिला-पटना एम0सी0एस-जी0 9961	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
105	रामाशीष राय पिता-स्व0 जनार्दन राय ग्राम-मकदपुर पोस्ट-रन्नुचक मकदपुर थाना-अकबर नगर जिला-भागलपुर एम0सी0एस-जी0 9879	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
106	सुशील कुमार सिंह पिता-स्व0 महेश्वर प्रसाद सिंह ग्राम-गढ बरूआरी वार्ड 08 पोस्ट-गढ बरूआरी थाना-लौकहा ओ0पी0 जिला- सुपौल एम0सी0एस-जी0 9480	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
107	राज कुमारी देवी पति-स्व0 हरि महतो ग्राम+पो0-भटौना थाना-करजा जिला-मुजफ्फरपुर एम0सी0एस-जी0 3138	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
108	जितावी देवी पति-राघव प्रसाद यादव ग्राम-बिजधरी पोस्ट-बिजधरी थाना-केसरिया पी0एस0 जिला-पूर्वी चम्पारण एम0सी0एस-जी0 9532	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

109	गायत्री मराडी पति-मजला मराडी ग्राम-रखा टोला पोस्ट-डुमरिया थाना-डडखोरा जिला-कटिहार एम0सी0एस-जी0 2544	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
110	उषा देवी पति-सजय कुमार ग्राम-देवरथ वार्ड 02 पोस्ट+थाना काको जिला-जहानाबाद एम0सी0एस-एफ 88652	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
111	मो0 जिब्रइल पिता-मो0 आजाबुल ग्राम-गोपालपुर पोस्ट-परिहारि थाना-रानीगज जिला-अररिया एम0सी0एस-जी0 6914	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
112	जाहेदा खातुन पति-मोजन ग्राम-खाडी पोस्ट-हफनिया थाना अमौर जिला-पूर्णिया एम0सी0एस-जी0 10466	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
113	मीरा देवी पति-विरेन्द पासवान ग्राम-काप सौतरी भरना पोस्ट-सौर बाजार थाना-सौर बाजार जिला-सहरसा एम0सी0एस-जी0 8208	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
114	मदन घोष पिता-मोटिलाल घोष ग्राम-रिफुजी कोलनी वार्ड 06 पोस्ट-सहरसा थाना+जिला सहरसा एम0सी0एस-जी0 9977	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
115	राजेश ऋषिदेव पिता-बुछाया ऋषिदेव ग्राम+पो0-लक्ष्मीपुर भागवती थाना-श्रीनगर जिला-मधेपुरा एम0सी0एस-जी0 9713	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

116	प्रिती कुमारी पिता-रघु पटेल ग्राम-पातेपुर वार्ड 8 पो0-पातेपुर थाना-पातेपुर जिला-वैशाली एम0सी0एस-एफ 99129	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
117	मंगली कुमारी पिता-सुनील महतो ग्राम-धनकोडम 09 पो0-धनकोडम थाना-घोसवरी जिला-पटना एम0सी0एस-जी0 9366	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
118	मियानती देवी पति-इन्द्रया लाल ग्राम-मोलनापुर पोस्ट-महम्मदपुर थाना-मुफसिल जिला सीवान एम0सी0एस-जी0 1410	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
119	प्रेमलता देवी पति-बेच नारायण मडल ग्राम-खैरा लालचद पो0-समेली थाना-पोठिया ओ0पी0 जिला-कटिहार एम0सी0एस-जी0 8262	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
120	प्रेरणा कुमारी पति-अरविन्द कुमार ग्राम-सेवा वार्ड 08 पो0-सेवा थाना-गिद्वौर जिला जमुई एम0सी0एस-जी0 9357	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
121	रामदेव महतो पिता- बहादुर महतो ग्राम-परडी पो0-सोनकी थाना-बहादुरपुर जिला-दरभंगा एम0सी0एस-एफ 79923	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
122	चौदनी देवी पति-अखिलेश शर्मा ग्राम-बलिया भुआ परवल पोस्ट-बलिया थाना मोहनपुर ओ0पी0 जिला-पूर्णिया एम0सी0एस-जी0 9607	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

123	कृष्णा कुमार पिता-मनीष लाल देव ग्राम-मनोरथा पो0-हवासा थाना-अशोक पेपर मिल जिला-दरभंगा एम0सी0एस-जी0 1381	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
124	मास्टर विक्रम कुमार पिता-गुलाब यादव ग्राम-सतघट्टा पोस्ट-हथवन थाना-अलौली जिला खगडिया एम0सी0एस-जी0 10252	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
125	उदय कुमार पिता-रविन्द्र साह ग्राम-मिश्रौलीया पोस्ट-अदलपुर थाना-जन्दाहा जिला वैशाली एम0सी0एस-एफ 65718	कैसर रोग	30,000	तीस हजार स्वीकृत
126	इन्द्रदेव दुधास पिता-छोटन दुधास ग्राम-पकरी पो0-पकडी बरावा थाना-पकडी बरावा जिला नवादा एम0सी0एस-जी0 8263	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
127	मजु देवी पति-सुरेन्द्र राम ग्राम-मगर मटिया पोस्ट-डिडिर थाना-हसपुरा जिला-औरगाबाद एम0सी0एस-जी0 6884	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
128	शोभा देवी पति-नन्द किशोर प्रसाद ग्राम-जोगाचक पोस्ट+थाना-कौवाकोल जिला-नवादा एम0सी0एस-जी0 9918	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
129	विकास कुमार पिता-सुनील प्रसाद ग्राम-रानीपुर पो0-फुलवारी शरीफ थाना-फुलवारी शरीफ जिला पटना एम0सी0एस-डी0 89029	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।

130	शांति देवी पति-स्व० नन्द किशोर राम ग्राम-घोषी पो०-घोषी थाना-कै० नगर जिला पूर्णिया एम०सी०एस-जी० 6587	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
131	जितेन्द्र कुमार पिता-अजय सिंह ग्राम-बराडी पो०-बहादुरगंज थाना-कतरी सराय जिला-नालदा एम०सी०एस-जी० 10562	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
132	गौतम कुमार पिता-नरेश प्रसाद ग्राम-साई मंदिर गली नार्थ नेहरू नगर, पोस्ट-पाटलीपुत्रा थाना-पाटलीपुत्रा जिला-पटना एम०सी०एस-जी० 9744	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
133	सजय राय पिता- गरभू राय ग्राम-अहिरौलीया पो०-बारा चकिया थाना चकिया जिला पूर्वी चम्पारण एम०सी०एस-एफ 95874	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
134	सुनीता देवी पति-भुषण यादव ग्राम-फतेहली पोस्ट-तुगी थाना-दीप नगर जिला नालदा एम०सी०एस-एफ 94019	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
135	सुधीर कुमार पिता-सुनील पाण्डेय ग्राम-बेनार पोस्ट-कैला थाना-सारे जिला नालंदा एम०सी०एस-जी० 9194	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
136	मेहरून निशा पति-मो० शहाब उद्दीन ग्राम+पो०-एकगरसराय थाना-एकगरसराय थजला- नालदा एम०सी०एस-डी० 5514	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।

137	निर्मला देवी पति-योगेन्द्र कुमार ग्राम-खबरा पो0-ढिबरी थाना-कोच जिला-गया एम0सी0एस-एफ 68785	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
138	विजय शर्मा पिता-स्व0 राम स्वरूप मिस्त्री ग्राम-सैदनपुर पो0-हिलसा थाना-हिलसा जिला नालंदा एम0सी0एस-जी0 3182	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
139	बबन राम पिता-स्व0 कृष्णा राम ग्राम-गोरारी पो0-गोरारी थाना-काराकाट जिला रोहतास एम0सी0एस-जी0 9904	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
140	प्रकाश मडल पिता-दुर्गानंद मडल ग्राम-पोठिया पोस्ट-जमुआ थाना-बरदाहा जिला-अररिया एम0सी0एस-जी0 9949	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
141	कौशल्या देवी पति-अनिरुद्ध मंडल ग्राम-पो0-बसहा थाना-पिपरा जिला-सुपौल एम0सी0एस-जी0 8882	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
142	चिन्ता देवी पति-गौतम शर्मा ग्राम-कमला राय कालेज के पीछे पो0-गोपालगज थाना-गोपालगज जिला-गोपालगज एम0सी0एस-एफ 57955	कैसर रोग	30,000	तीस हजार स्वीकृत
143	चौदनी देवी पति-विकास यादव ग्राम-नयी सीधी घात पो0-सुल्तानगज थाना-सुल्तानगंज जिला-भागलपुर एम0सी0एस-जी0 10278	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

144	अमरेन्द्र कुमार पिता-द्वारिका प्रसाद मेहता ग्राम-गाडी बिशनपुर पो-पीरी बाजार थाना-पीरी बाजार जिला-लखीसराय एम0सी0एस-जी0 9820	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
145	अशर्फी देवी पति-राम प्रकाश महतो ग्राम-सलखन्नी पोस्ट-मोख्तियारपुर थाना-दलसिंहसराय जिला-समस्तीपुर एम0सी0एस-ई0 50133	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
146	नीता देवी पति-नवीन झा ग्राम-माधोपुर राम पो-रघुनाथपुर इमादपुर थाना-सराय जिला-वैशाली एम0सी0एस-जी0 8953	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
147	धनजय पाण्डेय पिता-सियाराम पाण्डेय ग्राम-बभनगवा वार्ड 9 पोस्ट-बभनगवा थाना-बडहरा जिला-भोजपुर एम0सी0एस-जी0 9619	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
148	सुरजी देवी पति-नन्द किशोर राम ग्राम-गणेश डुमर पो-राधागंज थाना-फुलवरीया जिला-गोपालगंज एम0सी0एस-जी0 8884	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
149	किरण देवी पति-श्यामदेव राम ग्राम-कबीर पुरा पो-धनुकी थाना-जयरामपुर जिला-शेखपुरा एम0सी0एस-जी0 10170	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
150	विपिन कुमार पिता-कृष्ण नंदन सिंह ग्राम-नेपुरा पो-नेपुरा थाना दीप नगर जिला नालंदा एम0सी0एस-जी0 8557	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

151	राम कलावती देवी पति—दुलार राम ग्राम—तिर्थकौल पोस्ट—सदेश थाना—सदेश जिला—भोजपुर एम0सी0एस—जी0 10270	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
152	परमेश्वर यादव पिता—स्व0 रामदेव यादव ग्राम—बलवापर पोस्ट—उतरनावा थाना—रहुई जिला नालदा एम0सी0एस—जी0 4823	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
153	रीना देवी पति—बप्पन गोस्वामी ग्राम—करीमगज वार्ड 05 पोस्ट—बलुपरा थाना—बारसोई जिला—कटिहार एम0सी0एस—जी0 8378	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
154	मो0 आजाद हुसैन पिता—मो0 इसराईल ग्राम—सरथुआ पो—सरथुआ थाना— उदवतनगर जिला—भोजपुर रएम0सी0एस—एफ 90587	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
155	निलु देवी पति—प्रणव कुमार प्रवीण ग्राम+पो0—उदाकिशुनगंज थाना—उदाकिशुनगंज जिला— मधेपुरा एम0सी0एस—ई0 94763	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
156	बिमला देवी पति—जय राम लाल ग्राम—अरफाबाद गुड की मडी पोस्ट—गुलजारबाग थाना आलमगज जिला—पटना एम0सी0एस—ई0 97385	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
157	राहुल कुमार पिता—शैलेन्द्र पासवान ग्राम—बाजितपुर पोस्ट—कल्याणपुर थाना—पीपडा जिला—पटना एम0सी0एस—जी0 3059	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

158	हीरामनी देवी पति-देवी लाल यादव ग्राम+पो0-सरुवा थाना बौसी जिला-बाका एम0सी0एस-जी0 9855	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
159	जगीया देवी पति-सिद्धेश्वर चौधरी ग्राम-पडरिया पोस्ट-पचानपुर थाना-टिकारी जिला-गया एम0सी0एस-जी0 6303	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
160	मनोज कुमार मडल पिता-बैजनाथ मडल ग्राम-नाकी पोस्ट-लोहची थाना-शामपुर जिला-मुगेर एम0सी0एस-जी0 6382	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
161	गणेश कुमार कामत पिता-सिया राम कामत ग्राम+पो0-फुलपरास थाना-फुलपरास जिला-मधुबनी एम0सी0एस-जी0 9932	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
162	ललिता कुमारी पति-रजीत कुमार ग्राम+पोस्ट-नगवा थाना-फतेहपुर जिला-गया एम0सी0एस-जी0 5914	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
163	सौरभ कुमार पिता-भागीरथ मडल ग्राम-डोमनपुरा पो0-मझवे थाना+जिला जमुई एम0सी0एस-जी0 7674	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
164	राजदेव साह पिता-परीक्षण साह ग्राम-बगही भेलवा पो0-भेलवा सर्किल थाना-घोडा साहन जिला-पूर्वी चम्पारण एमसी0एस-एफ 92578	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।

165	राजेश सिंह पिता- शैलेन्द्र सिंह ग्राम+पो0- मलाही थाना- सुरसड जिला- सीतामढी एमसीएस न0- जी 2084	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
166	किरण देवी पति- अखिलेश राव ग्राम+पो0- लौकरिया थाना- बैरिया जिला- पश्चिम चम्पारण एमसीएस न0- एफ 43747	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
167	मास्टर श्री राम कुमार पिता- गुडू कुमार ग्राम- डिहरी पो0- बारा सोलहपुर थाना- चन्द्रदीप जिला- जमुई एमसीएस न0- एफ 96311	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
168	जितेन्द्र राय पिता- राजधारी राय ग्राम- जमुआव वार्ड 06 पो0- कुकुरहा थाना- ईटाढी जिला- बक्सर एमसीएस न0- एफ 45169	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
169	प्रमिला देवी पति- देवेद्र भगत ग्राम- गोविदपुर पो0- बाजितपुर सैदात थाना- बिदुपुर जिला- वैशाली एमसीएस न0- जी 9625	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
170	मिनू कुमारी पति- श्रवण कुमार ग्राम- रघुनाथपुर पो0- बेदाचक थाना- अमरपुर जिला- बाका एमसीएस न0- एफ 42714	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
171	कमला देवी पति- कैलाश यादव ग्राम- बिसार वार्ड 15 पो0- बुद्धगोरे थाना- मुफसिल जिला- गयाजी एमसीएस न0- जी 10508	कैसर रोग	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।

172	पुष्पेद्र महतो पिता- भरत महतो ग्राम+पो0- मछगर लच्छीराम थाना- हथुआ जिला- गोपालगज एमसीएस न0- एफ 70093	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
			1,23,80,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,23,80,000/- (एक करोड़ तेईस लाख अस्सी हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 **002564** द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0 **3601018437** खाता धारक का नाम- 'महावीर कैसर इंस्टीच्युट एंड रिसर्च सेंटर (बी0जी0) रीसीप्ट, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम -वितकोहरा ब्रांच, अनिराबाद, पटना RTGS/IFSC कोड सं0 CBIN 0282779 मे अतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय।
- यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- 'मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष', खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
- आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 225(14)

पटना, दिनांक 28/11/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलगन चेक सं0 **002564** की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका-2 मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजो को सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक
इन्दिरा गांधी आर्युविज्ञान संस्थान,
शेखपुरा, पटना-14 ।

पटना, दिनांक. . .

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 21.01.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	सबीना खातून पति- मो० कलीमुद्दीन ग्राम- टेकारी रोड पत्थर की मस्जिद पो०- महेन्द्र थाना- सुल्तानगज जिला- पटना सीआर न०- 108112300555461	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
2	पिन्दु कुमार अकेला पिता-दीन दयाल प्रसाद ग्राम-टिमलपुर 10 पोस्ट-सैदाबाद थाना-पाली जिला-जहानाबाद सीआरन०-108112501315451	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	रीना कुमारी पति- भोला पासवान ग्राम+पो०- नईमा थाना- घोषी जिला- जहानाबाद सीआर न०- 108112503354928	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
4	सबिहा खातून पति- स्व० समसुल हक ग्राम- नवीनगर वार्ड 05 पो०- बेलहौरी थाना- दुलिहन बाजार जिला- पटना सीआर न०- 108112300795900	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।

5	रूबी कुमारी पति- बिंदु ठाकुर ग्राम- बिशनपुर हकीमाबाद पो0- बिशनपुर थाना- मुफ्फसिल जिला- समस्तीपुर सीआर न0- 108112502497161	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
6	राधेश्याम पासवान पिता- जुगल पासवान ग्राम- पहाडटोल पो0+थाना- मीरगंज जिला- पूर्णियाँ सीआर न0- 108112502889787	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
7	अजनी मिश्रा पिता- जगदीश मिश्रा ग्राम- पतुत वार्ड 07 पो0- पतुत थाना- रानीतालाब जिला- पटना सीआर न0- 108112502318810	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
8	मुन्नी देवी पति- देवनाथ यादव ग्राम+पो0- बरेजा थाना- दाउदपुर जिला- सारण सीआर न0- 108112503295911	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
9	रिकी देवी पति- अनिल कुमार ग्राम- कचहरी स्टेशन सलेमपुर वार्ड 25 पो0- छपरा थाना- नगर जिला- सारण सीआर नं0- 108112501664617	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
10	कुलदीप कुमार पिता- सुरेश महतो ग्राम- दातापुर पचभिडवा वार्ड 09 पो0- मधौल थाना- सरैया जिला- मुजफ्फरपुर सीआर न0- 108112502196188	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
11	पूनम देवी पति- राजेश कुमार ग्राम- मटिया पांडेय पो0- मनियारा थाना- कुचायकोट जिला- गोपालगंज सीआर न0- 108112300543595	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

12	मोनाकू देवी पति- भगवान राम ग्राम- मोहनी टोला पो0- शिवपुर थाना- बिक्रमगज जिला- रोहतास सीआर न0- 108112502860924	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
13	रीना कुमारी पिता- सत्यदेव भगत ग्राम- भगवानपुर वार्ड 13 पो0- रामपुर यद्र थाना- पानापुर जिला- सारण सीआर न0- 108112403373736	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
14	रजीत कुमार पिता- महेश सिंह ग्राम- करताहॉ बुजुर्ग पो0+थाना- करताहॉ जिला- वैशाली सीआर न0- 108112500587449	गुर्दा प्रत्यारोपन	3,00,000	तीन लाख स्वीकृत।
			12,90,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 12,90,000/- (बारह लाख नब्बे हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता संख्या- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 ~~002561~~ द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0-503 2011 9556 खाता धारक का नाम-"निदेशक, इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान सं0 शेखपुरा पटना"खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-इंडियन बैंक, शाखा का नाम-आई0जी0आई0एम0एस0, शेखपुरा पटना, 800014 RTGS/IFSC कोड सं0 IDIB000i507 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम-"मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379,

शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

7. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
8. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 226(14)

पटना, दिनांक 28/1/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स0 002567 की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि-लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी सबधित मरीजो के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाए
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
जीवक हार्ट अस्पताल एवं शोध संस्थान प्रा० लि०,
कंकडबाग, पटना-20

पटना, दिनांक ..

विषय - "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।
महाशय

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 21.01.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	मो० मुशर्रफ पिता- मो० निजामुद्दीन ग्राम- चोन्दी पो०+थाना- बाढ जिला- पटना	हृदय रोग पीटीसीए	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
2	फरीदा बानो पति- सैयद अलपतगीन गजनफर आरवी पो०- कासीम मंजिल मिल्की मोहल्ला पो०- आरा थाना- आरा नगर जिला- भोजपुर	हृदय रोग सीएबीजी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			1,85,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,85,000/- (एक लाख पचासी हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके स्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" खाता सं० 30121380424, एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 002567... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 16590200000041 खाता धारक का नाम-"निदेशक, जीवक हार्ट अस्पताल एवं शोध संस्थान प्रा० लि० कंकडबाग, पटना" खाते का प्रकार- चालू बैंक का नाम-इन्डियन ओवरसीज बैंक, शाखा का नाम-कंकडबाग, पटना(1659) RTGS/IFSC कोड सं० IOBA 0001659 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक माग वसूली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियो का मिलान कर चिकित्सा प्रारम्भ किया जाय। अनावश्यक रोगियो को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
7. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)


निदेशक प्रमुख

पटना, दिनांक 28/11/2026

ज्ञापाक 227(14)

प्रतिलिपि- शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 0.02561 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि-लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजो के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2026

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ

बिहार, पटना

प्रेषक

डा० (श्रीमती) रेखा झा,

निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,

फूलवारीशरीफ, पटना-801505

पटना, दिनांक

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 21.01.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	अन्नपूर्णा कुमारी पति-अवधेश कुमार ग्राम-झींगनगर संगत पोस्ट+थाना-बिहार शरीफ जिला- नालदा	Post Operative Case of MVR	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
2	रेणु देवी पति-स्व चंद्रशेखर प्रसाद जयसवाल ग्राम-मैन रोड महनार वार्ड 07 पोस्ट+थाना-महनार जिला-वैशाली	कैंसर रोग	1,60,000	एक लाख साठ हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
3	सुमन सिन्हा पति- धर्मेन्द्र कुमार रजन ग्राम- साई सुमन लेन आर्य समाजमन्दि पो०- दानापुर कैट थाना- दानापुर जिला- पटना	Pancretic Head Mass with SOJ	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
4	मणि देवी पति- शिव ना० चौधरी ग्राम- खैरखान वार्ड 07 पो०- खैरखान थाना- फोरबिसगंज जिला- अररिया	स्पाइन सर्जरी	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।

5	बिशम्बर चौधरी पिता- नागेन्द्र चौधरी ग्राम- शोरपुर ढेपुरा वार्ड 02 पो0- शेरपुर ढेपुरा थाना- विद्यापतिनगर जिला- समस्तीपुर	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृतं
6	अनिप कुमार श्रीवासतव पिता- उमा नाथ श्रीवास्तव ग्राम- दर्शन नगर पो0- साहेबगज छपरा थाना- नगर जिला- सारण	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृतं
			5,20,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 5,20,000/- (पाँच लाख बीस हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं0 00.25.64 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 **579310110008985** खाता धारक का नाम—Patient Care Fund 'एम्स, पटना' खाते का प्रकार—चालु, बैंक का नाम— बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम —एम्स, पटना, फुलवारीशरीफ, पटना, बिहार, 801507 RTGS/IFSC कोड सं0 BKID 0005793 में अंतरित किया जाता है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0— **30121380424**, IFSC Code- **SBIN0006379**, शाखा— एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।

7. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डा0 (श्रीमती) रेखा झा)


निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 228(14)

पटना, दिनांक 28/11/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं0 002561... की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई0 टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



निदेशक प्रमुख

स0स0-14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार,पटना

प्रेषक

डा0 (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
राजेश्वर अस्पताल,
नीयर बहादुरपुर फलाई ओवर,
ककडबाग, पटना-800020

पटना, दिनांक.

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक **21.01.2026** की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है-

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	बिभा कुमारी पति- संजय ठाकुर ग्राम- गोनकुरा वार्ड 02 पो0- गोनकुरा थाना- चडी जिला- नालदा	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	त्रिपुला देवी पति- अनिल दास ग्राम- फतेहपुर वार्ड 09 पो0- फतेहपुर थाना- बलरामपुर जिला- कटिहार	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	नसीमा खातून पति- इसराईल असारी ग्राम- बलडीहा वार्ड 01 पो0- खोदाईबाग थाना- खैरा जिला- सारण	हृदय रोग सीएबीजी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			₹ 2,60,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,60,000/- (दो लाख साठ हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 **002564** द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता स0- 1499002109000623 खाता धारक का नाम-"राजेश्वर

अस्पताल" खगते का प्रकार-चालू, बैंक का नाम- पंजाब नेशनल बैंक, शाखा का नाम ककडबाग, पटना, RTGS/IFSC कोड सं० PUNBO 149900 मे अतररत कलया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशल को संबंधलत मरीज/उनके अभलभावक/उत्तराधिकारी से एक मुशत बलहार लोक माग वसूली अधलनलयम के तहत वसूल कर ललया जायगा।
4. यदल स्वीकृत्यादेश में कलसी तरह की त्रुटल या आशलक भलन्नता हो तो अन्य जानकारलयां का मललान कर चलकलत्सा प्रारभ कलया जाय। अनावशुयक रोगलया को परेशानी नही हो सुनलशुचित कलया जाय। मरीजों को कलतनी बार अनुदान की राशल दी गयी है, इसका उल्लेख उपयुगलता प्रमाण पत्र में कलया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार नलगत कलया जाय। बार-बार प्राक्कलन नलगत करने से वलत्तीय अनलयमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वलत्तीय अनलयमितता नहीं हो सुनलशुचित कलया जाय।
5. यदल मरीज द्वारा चलकलत्सा/शल्य चलकलत्सा करा ली गयी हो तो इस राशल को शीघ्र वलभाग को वापस कलया जाय। मरीज के चलकलत्सुपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशल को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चलकलत्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रुनलक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से वलभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनलशुचित कलया जाय।
6. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरुग्य युकाना एवं मुख्यमंत्री जन आरुग्य युकानाओं से अच्छादलत लाभुको को मुख्यमंत्री चलकलत्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावशुयक समझा जाय ।

वलशुवासभाजन

ह०/-

(डा० (शुुरीमती) रेखा झा)

नलदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 229(14)

पटना, दलनांक 28/1/2026

प्रतलललपल- शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषलत करते हुए अनुरोध है कल संलग्न चेक सं० 002567 की कुल राशल का अतरण उपरोक्त कडलका-2 मे वर्णलत खाताधारक को कर दलया जाय।

प्रतलललपल- लेखापाल, स्वाशुथ्य वलभाग, बलहार, पटना (तीन प्रतलया में)/आई. टी. मैनेजर, स्वाशुथ्य वलभाग, पटना, संबंधलत मरीजो को सूचनार्थ एव आवश्यक कारुयार्थ प्रेषलत।

28/1/26
नलदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
पारस एच०एम०आर आई० अस्पताल,
राजाबाजार,
पटना- 800014

पटना, दिनांक.. .. .

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 21.01.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	सतोष दास पिता- स्व० बालकिशुन दास ग्राम- मीन टोला पो०+थाना- सहरसा जिला- सहरसा यूएचआईडी नं०- 3000616753	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
2	मीना देवी पति- पकज कुमार ग्राम+पो+थाना- पुरैनी जिला- मधेपुरा यूएचआईडी नं०- 3000604916	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
3	पहलाद यादव पिता- गोविन्द यादव ग्राम- बेनीगज पो०- अस्थावा थाना- करडे जिला- शेखपुरा यूएचआईडी नं०- 3000587424	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
4	दिनानाथ ठाकुर पिता- रामदीप ठाकुर ग्राम+पो०- बिथरा थाना- कुर्था जिला- अरवल यूएचआईडी नं०- 3000604505	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
5	अजय ताती पिता- नारायण ताती ग्राम- शांति नगर सुजा बेगूसराई पो०- सुजा थाना- मुफसिल जिला- बेगूसराय यूएचआईडी नं०- 3000611188	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।

6	प्रिती कुमारी पिता- राजकुमार बिद ग्राम- सिञ्जुआ कला पो0- ऊपरी थाना- रामगढ जिला- कैमूर भभुआ यूएचआईडी न0- 3000592871	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
7	हैप्पी कुमारी पति- क्राति कुमार ग्राम- महमदपुर बिरौली पो0- बिरौली आर आई थाना- पूसा जिला- समस्तीपुर यूएचआईडी नं0- 3000615287	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत ।
8	गौतम कुमार पिता- गोविन्द प्रसाद ग्राम- टिकुलीपर पो0+थाना- बिहार शरीफ जिला- नालदा यूएचआईडी नं0- 3000416982	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत ।
9	मास्टर राजा बाबु पिता- सतोष कुमार ग्राम- रकियान बिगहा पो0- औरंगाबाद सरैया थाना- अमझोर जिला- रोहतास यूएचआईडी नं0- 3000495842	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
10	काजल कुमारी पिता- लक्ष्मी चौधरी ग्राम- पिपलावाँ पो0- आदमपुर पिपलावाँ थाना- पिपलावाँ जिला- पटना यूएचआईडी न0- 3000344697	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत ।
11	अजीज आलम पिता- सफी आलम ग्राम- बरकुरवा पो0- सोनवाल थाना- पहाडपुर जिला- पूर्वी चम्पारण रजि न0- 3000599430	गुर्दा प्रत्यारोपन	2,50,000	दो लाख पचास हजार स्वीकृत ।
12	उर्मिला देवी पति- राधे कापर ग्राम+पो0- रघुनाथपुर थाना- साहेबपुर कमाल जिला- बेगूसराय यूएचआईडी न0- 3000559644	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत ।
13	महेन्द्र प्रसाद सिंह पिता- स्व0 सुदामा सिंह ग्राम- नई मैनपुरा खरजा रोड पो0- दानापुर कैट थाना- दानापुर जिला- पटना रजि न0- 3000511568	Dialysis	30,000	तीस हजार स्वीकृत । विशेष परिस्थिति मे ।

14	बौआ कुमार पिता- अनिल यादव ग्राम- कटहरा वार्ड 05 पो0- मोहनपुर थाना- छातापुर जिला- सुपौल रजि न0- 3000610794	गुर्दा प्रत्यारोपन	3,00,000	तीन लाख स्वीकृत।
15	विनदेश्वरी मडल पिता- स्व0 जगत मडल ग्राम- दुर्गापुर मिलिक टोला पो0- दुर्गापुर थाना- भवानीपुर जिला- पूर्णियाँ यूएचआईडी नं0- 3000544888	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
16	नीरज कुमार गिरी पिता- अनिरुद्ध गिरी ग्राम- खुगुनी पो0- परसौना मदन थाना- रामगढवा जिला- पूर्वी चम्पारण यूएचआईडी नं0- 3000603049	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			13,10,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 13,10,000/- (तेरह लाख दस हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 002567..... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 16498260000011 खाता धारक का नाम-पारस एचएमआरआई अस्पताल, ए यूनिट आफ पारस एचपी0एल0, खाते का प्रकार-चालू, बैंक का नाम-एच0डी0एफ0सी0 बैंक लि0, शाखा का नाम-AMBITION SAPPHIRE BESIDES RELIANCE TRENDS RAJA BAZAR BAILEY ROAD PATNA BIHAR-800014, RTGS/IFSC कोड सं0- HDFC0001649 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- चिकित्सा CGHS के दर पर की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।
- मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं प्राक्कलन में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार

प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना उत्पन्न हो सकती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी आपकी होगी।

6. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
7. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
8. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि एक सप्ताह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
9. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)


निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 230(14)

पटना, दिनांक 28/11/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 002567... की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई टी, मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
CISRO Hospital,
सगुना मोड, दानापुर,
पटना 801503

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक- 21.01.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	उमा कान्त पिता- जालिन्दर राय ग्राम- जगदीशपुर पो०- मलिकौर थाना- पूसा जिला- समस्तीपुर	स्पाईन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	मुकेश कुमार पंडित पिता- जगदीश पंडित ग्राम+पो०- इटवा थाना- धरहरा जिला- मुंगेर	स्पाईन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
3	उर्मिला देवी पति- लालबाबू चौधरी ग्राम- भिखाचक पो०- अनीसाबाद थाना- गर्दनीबाग जिला- पटना	स्पाईन सर्जरी	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
4	सुरेश यादव पिता- स्व० जनक यादव ग्राम- देवरिया पं०- चिकसी थाना- सिंगौरी जिला- पटना	स्पाईन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
5	रोहित कुमार पिता- संजय सिंह ग्राम+पो०- दनवार थाना- कच्छवा जिला- रोहतास	स्पाईन सर्जरी	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।

6	सलाउद्दीन खान पिता- मुसतफा खान ग्राम- जादो पिपरा पो0+थाना- हथुआ जिला- गोपालगज	स्पाईन सर्जरी	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
7	सुभाष प्रसाद पिता- किशोर कुमार ग्राम+पो0- टेनगरही थाना- सिवाईपट्टी जिला- मुजफ्फरपुर	स्पाईन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
8	सरोज देवी पति- सव0 नागेन्द्र पाठक ग्राम- गोपालपुर पो0- नदौल थाना- मसौढी जिला- पटना	स्पाईन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
9	मनीष कुमार पिता- सतोष चौधरी ग्राम- खखन्दुवा पो0- भवानगढ रामपुर थाना- गोविन्दपुर जिला- नवादा	स्पाईन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
10	मदन राम पिता- जुदागी राम ग्राम- खजौता पो0- खानपुर थाना- डेरनी जिला- सारण	स्पाईन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
11	कृष्णा देवी पति- महेद्र कुमार सिंह ग्राम- कुसुमपुरम वेस्ट ऑफ कैनाल पो0+थाना- दानापुर जिला- पटना	स्पाईन सर्जरी	90,000	नब्बे हजार स्वीकृत।
12	अजू देवी पति- विश्वनाथ साह ग्राम+पो0- महथ मनियारी थाना- मनियारी जिला- मुजफ्फरपुर	स्पाईन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
13	राजीव रजन सिंह पिता- रामावतार सिंह ग्राम- धरमपुर पो0- चटमडीह थाना- शमुगज जिला- बाका	स्पाईन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
14	मीना देवी पिता- स्व0 राम आशीश दुबे ग्राम- पलाकी पो0- अलावलपुर थाना- गौरीचक जिला- पटना	स्पाईन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

15	ज्योति देवी पति- त्रिभुवन कुमार साह ग्राम+पो0- सोनवर्षा धाट थाना- चौथम जिला- खगडिया	स्पाईन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
16	अनिल कुमार राय पिता- गणोर राय ग्राम+पो0- करनौती थाना- महनार जिला- वैशाली	स्पाईन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
17	मीणा देवी पति- विस्वनाथ सिंह ग्राम- नयागाव पो0- छिन्नौर थाना- नयागाव जिला- बेगूसराय	स्पाईन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
18	अमन कुमार पिता- अविनाश शर्मा ग्राम+पो0+थाना- मथुरापुर जिला- समस्तीपुर	स्पाईन सर्जरी	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
19	रुनेना देवी पति- शम्भु मिस्त्री ग्राम+पो0- हिलसा थाना- चन्द्रदीप जिला- जमुई	स्पाईन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
20	रजीत राज पिता- रामजी प्रसाद ग्राम+पो0- चैता थाना- पकडीदयाल जिला- पूर्वी चम्पारण	स्पाईन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			19,20,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 19,20,000/- (उन्नीस लाख बीस हजार) रु० के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं० 002561...द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं०-39196290026 खाता धारक का नाम-KUMAR AND SARRAF HEALTH CARE PRIVATE LTD खाते का प्रकार- बैंक का नाम- स्टेट बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम-एस०बी०आई० ग्रांड फ्लोर ओजोन प्लाजा नीयर आर०पीएस० मोड बेली रोड, RTGS/IFSC कोड सं० SBIN0011675 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी



बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डा० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 231(14)

पटना, दिनांक 28/11/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 002561 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / आई. डी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, संबधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
सर्राफ आर्थो स्पाईन एंड मेटरनीटी
सेंटर नीयर डी०एम०सी०एच० लहेरिया सराय
दरभंगा-846003

पटना, दिनांक

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक— 21.01.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	लक्ष्मण राम पिता— पचकोरि राम ग्राम+पो०— हरहाचा थाना— बहेरी जिला— दरभंगा	स्पाईन सर्जरी	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
2	लक्ष्मी देवी पति— दिलीप मडल ग्राम+पो०— गजहरा थाना— लदनियाँ जिला— मधुबनी	स्पाईन सर्जरी	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
3	उमेश कुमार सिंह पिता— राम सिंह ग्राम+पो०— कैथवार थाना— सकतपुर जिला— दरभंगा	ड्रामा	45,000	पैंतालीस हजार स्वीकृत।
4	आदित्य साहू पिता— राम देव साव ग्राम— सिरहौली पो०— कोटिया थाना— कमतौल जिला— दरभंगा	ड्रामा	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
5	वैष्णवी भारती पिता— हरेराम साहनी ग्राम— बांधबस्तीपुर पो०— लालशाहपुर थाना— मब्बी जिला— दरभंगा	ड्रामा	50,000	पचास हजार स्वीकृत।

6	विशाल कुमार पिता- अमित राय ग्राम- सिमरा नेहालपुर पो0- लालसाहपुर थाना- मब्बी जिला- दरभंगा	ड्रामा	45,000	पैंतालीस हजार स्वीकृत।
7	परमेश्वर चौधरी पिता- धनिकलाल चौधरी ग्राम+पो0- पिपराही थाना- लदनियों जिला- मधुबनी	ड्रामा	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
8	जमीला खातून पति- अब्दुल मन्नान ग्राम- परवलपुर पो0- दलदल थाना- भेजा जिला- मधुबनी	स्पाईन सर्जरी	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
9	तिलेश कुमार पिता- स्व0 श्रवण दास ग्राम- मजरहि टोला पो0+थाना- कलुआही जिला- मधुबनी	ड्रामा	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
10	सुजीत कुमार पिता- अलगु साफी ग्राम- सर्वसीमा पो0- नरुआर थाना- भैरवस्थान जिला- मधुबनी	स्पाईन सर्जरी	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
11	कल्याणी कुमारी पिता- स्व0 बसंत झा ग्राम- मिल्की पो0- अदौली थाना- अलीनगर जिला- दरभंगा	ड्रामा	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
12	राकेश कुमार पिता- मटू पासवान ग्राम- हिछौल पो0- सिनुआर थाना- अशोक पेपर मिल जिला- दरभंगा	ड्रामा	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
13	आदर्श कुमार पिता- कृष्णा कुमार यादव ग्राम+पो0- सेलरा थाना- जयनगर जिला- मधुबनी	ड्रामा	50,000	पचास हजार स्वीकृत।

14	पारवती देवी पति- मुनेश्वर साहनी ग्राम+पो0- कोरथो थाना- घनश्यामपुर जिला- दरभंगा	स्पाईन सर्जरी	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
15	खुर खुर दास पिता- कैलाश दास ग्राम- सुरही पो0- गोबरसिथा थाना- कल्याणपुर जिला- समस्तीपुर	स्पाईन सर्जरी	90,000	नब्बे हजार स्वीकृत।
16	रसीना खातून पति- मो0 अब्दुल्लाह ग्राम- बसहा पो0- बरहरा थाना- बाबुबरही जिला- मधुबनी	स्पाईन सर्जरी	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
17	मंजूला देवी पति- अर्जुन झा ग्राम+पो0- लालपुर थाना- रून्नीसैदपुर जिला- सीतामढी	स्पाईन सर्जरी	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
			₹ 11,05,000/-	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 11,05,000/- (ग्यारह लाख पाँच हजार) ₹0 के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 002569...द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0-38022630797 खाता धारक का नाम-सर्जाफ आर्थो स्पाईन एंड मेटरनीटी सेंटर खाते का प्रकार- बैंक का नाम- स्टेट बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम-डी0एम0सी0 कैम्पस दरभंगा, RTGS/IFSC कोड सं0 SBIN0003025 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष",

खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

6. पूर्व की शेष/अनप्रयुक्त राशि एक सप्ताह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
7. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)


निदेशक प्रमुख

पटना, दिनांक 28/11/2026

ज्ञापाक 232(14)

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 002567 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / आई. डी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना / सभी संबंधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

सं0सं0-14/एम 11-01/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
रुबन मेमोरियल अस्पताल,
19 पाटलीपुत्रा कालोनी,
नियर पाटलीपुत्रा गोलम्बर,
पटना-800013

पटना, दिनांक.....

विषय- मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।
महाशय,

मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 21.01.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है-

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	राजू कुमार सिंह पिता- विजय सिंह ग्राम+पो0- डुमरी छपिया थाना- तरैया जिला- सारण	Injury by Talwar	65,000	पैंसठ हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
2	निर्मला देवी पति- अजय यादव ग्राम- चिरैयाटॉड पो0- पीरू थाना- हसपुरा जिला- औरंगाबाद	Cholelithiasis	20,000	बीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
3	अजित कुमार सिंह पिता- धनेश्वर सिंह ग्राम- बिक्रमपुर पो0- कर्णपुरा थाना- मढौरा जिला- सारण	ब्रेन हेमरेज	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
4	अशोक शर्मा पिता- प्रभु शर्मा ग्राम+पो0- पैगम्बरपुर थाना- बरियारपुर जिला- मुजफ्फरपुर	ब्रेन ट्यूमर सर्जरी	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
			2,20,000/-	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹, 2,20,000/- (दो लाख बीस हजार) रु० के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०-

30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 002567 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0-32881734032 खाता धारक का नाम Ruban Patliputra Hospital Pvt. Ltd. खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- State Bank of India शाखा का नाम -एस0एम0ई0 ब्राच, डाकबगला रोड, पटना-800001 RTGS/IFSC कोड सं0 SBIN0001513 में अंतरित किया जाता है।

- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा। प्राक्कलन CGHS के दर पर ही निर्गत किया जाय।
- 4 यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)


निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 233(14)

पटना, दिनांक 28/11/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलक सं0 002567 की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका-2 मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/सभी सबधित मरीजो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक/अधीक्षक,
फोर्ड अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर (प्रा०) लि०,
रामकृष्णा नगर, पटना- 800027

पटना, दिनांक.... ..

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 21.01.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	शांति देवी पति- ललन पंडित ग्राम+पो०+थाना- आयर जिला- भोजपुर	हृदय रोग एभीआर	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
2	महेश्वर प्रसाद पिता- स्व० रामेश्वर सिंह ग्राम- सम्मत्पुर पो०- मझौली थाना- सालीमपुर जिला- पटना	हृदय रोग डीभीआर	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
3	अनिल कुमार पिता- राजेद्र सिंह ग्राम- अहमदपुर लेखनी उर्फ शिवगंज पो०- बिहूपुर थाना- राजापाकर जिला- वैशाली	हृदय रोग सीएबीजी	1,35,000	एक लाख पैंतीस हजार स्वीकृत।
4	अनीता कुमारी पति- बाल बृंद कुमार आर्य ग्राम- लालगज पो०+थाना- चडी जिला- नालदा	हृदय रोग सीएबीजी	1,35,000	एक लाख पैंतीस हजार स्वीकृत।
5	कान्ति देवी पति- रामस्वरूप ठाकुर ग्राम+पो०- बकरौर थाना- बोधगया जिला- गयाजी	हृदय रोग सीएबीजी	1,35,000	एक लाख पैंतीस हजार स्वीकृत।

6	भरत प्रसाद पिता- जामुन राम ग्राम+पो0+थाना- सुरसड जिला- सीतामढी	हृदय रोग एवीआर	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
7	शेखर कुमार पिता- नागेद्र कुमार ग्राम- जनारो पो0- करजरा थाना- वेन जिला- नालदा	ड्रामा	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
8	जय प्रकाश कुमार वर्मा पिता- रामाशीष वर्मा ग्राम+पो0+थाना- एकगर सराय जिला- नालंदा	ब्रेन सर्जरी	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
9	पन्नलाल साह पिता- रामदेव साह ग्राम- बाकी टीकम पो0- गुलवारा मधुबन थाना- मधुबन जिला- पूर्वी चम्पारण	हृदय रोग एमवीआर	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
10	सुरेद्र पाडेय पिता- कृष्णा मुरारी ग्राम- चिरईटाड गली न0 02 पो0- जी0पी0ओ0 थाना- कंकडबाग जिला- पटना	Phimosis Balanoposthesis	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
			9,50,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि रू0 9,50,000/- (नौ लाख पचास हजार) मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं0 09256+ द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 31792937290, खाता धारक का नाम- फोर्ड हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर प्रा0 लिमिटेड, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-स्टेट बैंक आफ इण्डिया, शाखा का नाम-हनुमान नगर पटना, RTGS/IFSC कोड सं0 SBIN0009005 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि छः माह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
7. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख


ज्ञापक 234 (14)

पटना, दिनांक

28/11/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं०...092564...की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजो के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

स० सं० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक,

डा० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
आस्था लोक हॉस्पिटल,
प्रोफेसर कालोनी, नीयर केन्द्रीय विद्यालय,
ककडबाग, पटना 20

पटना, दिनांक... ..

विषय— मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के सबध में।
महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 21.01.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है—

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	धीरज कुमार पिता— भानु महतो ग्राम+पो०— कर्णपुरा थाना— मढौरा जिला— सारण	ट्रामा	45,000	पैंतालीस हजार स्वीकृत।
2	विनय कुमार साह पिता— स्व० हरी प्रसाद साह ग्राम— अलीगंज बाँसी रोड पो०— मिरजानहाट थाना— बबरगज जिला— भागलपुर	स्पाईन सर्जरी	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
3	अमलेश कुमार गुप्ता पिता— विदेश्वरी प्रसाद ग्राम— कल्याणपुर पो०— बजारी थाना— रोहतास जिला— रोहतास	स्पाईन सर्जरी	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
4	अतिमा देवी पति— जीतेन्द्र कुमार सिंह ग्राम+पो०— कचनार थाना— रिविलगंज जिला— सारण	ट्रामा	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।
5	रितेश कुमार साहू पिता— सजय साहू ग्राम— भेडहरिया इगलिश पो०— सियारामपुर थाना— पीलगज जिला— पटना	ट्रामा	45,000	पैंतालीस हजार स्वीकृत।

6	राजीव कुमार पिता- राम नरेश चौरसिया ग्राम- जद्दुआ बडई टोला पो0- हाजीपुर थाना- औद्योगिक क्षेत्र जिला- वैशाली	हीप रिप्लेसमेट	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।
7	मन्नू कुमार पिता- मधु सुदन प्रसाद ग्राम- बसवाचक पो0- दौलतपुर थाना- भदौर जिला- पटना	ड्रामा	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
8	जसमंती देवी पति- कमलेश दास ग्राम+पो0- ऐनखॉ थाना- दुल्हन बाजार जिला- पटना	स्पाईन सर्जरी	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
			5,25,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ **5,25,000/-**(पाँच लाख पच्चीस हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं ~~0025656~~ द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं 50200006844472 खाता धारक का नाम- "आस्था लोक अस्पताल एड रिसर्च सेटर प्रा0 लि0" खाते का प्रकार-चालू, बैंक का नाम- एच0 डी0 एफ0 सी0 बैंक, शाखा का नाम पत्रकार नगर, पटना, RTGS/IFSC कोड सं- HDFC0000477 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना

में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

6. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
- 7 स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छ) माह होगी।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डा0 (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 235(14)

पटना, दिनांक 28/1/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलगन चेक सं0. ~~002567~~ की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ संबंधित मरीजो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
अधीक्षक,
श्री साई अस्पताल कंकड़बाग
वेस्ट आफ राजेन्द्र नगर ओवर ब्रीज
कंकड़बाग पटना 20

पटना, दिनांक

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 21.01.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	सुगनी कुमारी पिता- श्रवण पंडित ग्राम+पो०- सोसन्दी थाना- रहुई जिला- नालदा	PCNL with DJ Stenting	65,000	पैंसठ हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
2	अशु कुमारी पिता- हृदय नारायण मेहता ग्राम+पो०- पटनावा थाना- जमोहर जिला- औरंगाबाद	Lap Appendectomy	60,000	साठ हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
3	सरोज देवी पति- सुरेद्र प्रसाद ग्राम- हेरीडीह पो०- मलाठी थाना- मखदुमपुर जिला- जहानाबाद	Cystocele	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			2,00,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,00,000/- (दो लाख) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक स० 00.2.5#67 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता स० 440720110000219 खाता धारक का नाम- "अखिलेश कुमार सिंह हौस्पिटल प्रा० लि०" खाते का

प्रकार-चालु, बैंक का नाम- बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम आर0 एन0 कालोनी ब्रांच पटना-16, RTGS/IFSC कोड स0 BKID0004407 मे अतरित किया जाता है।

- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- 4 यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारम्भ किया जाय। अनावश्यक रोगियो को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 236(14)

पटना, दिनांक 28/11/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं0 002564 की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/आई. टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजो के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
सवेरा कैंसर एंड मल्टी स्पेशलीटी अस्पताल,
जीसी 5/जीसी 6,
डा० आरएन सिंह रोड, लौहिया नगर,
कंकडबाग पटना-20

पटना, दिनांक

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 21.01.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	सरिता देवी पति- स्व० कामेश्वर राय ग्राम- बिचला तेलपा पो०- छपरा थाना- नगर जिला- सारण	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	रिकू देवी पति- विजयेद्र सिंह ग्राम+पो०- मदारपुर थाना- भेल्दी जिला- सारण	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
3	दीप माला पति- गंगा सागर ग्राम- मीनापुर पो०+थाना- हाजीपुर जिला- वैशाली	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
4	मास्टर टुक टुक पिता- मुन्ना कुमार ग्राम- नौकोतिया राज भवन परिसर पो०- जी०पी०ओ० थाना- सचिवालय जिला- पटना	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			3,00,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 3,00,000/- (तीन लाख) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०

30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 002576...द्वारा
आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता स0-
440720110000498 खाता धारक का नाम- Savera Cancer & Multispeciality Hospital खाते
का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम- राजेन्द्र नगर कोलनी, पटना
RTGS/IFSC कोड स0 BKID0004407 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को
संबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के
तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान
कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया
जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से
वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित
किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को
वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम-
"मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379,
शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से
विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
7. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित
लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 237(14)

पटना, दिनांक

28/11/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि
सलग्न चेक स0 002576...की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को
कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई0 टी. मैनेजर, स्वास्थ्य
विभाग, पटना को सभी संबधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-01 /2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
बुद्धा कैसर सेटर,
नहर रोड, लेफ्ट 2 नहर चौक,
रूपसपुर, बेली रोड
पटना-801503

पटना, दिनांक

विषय – मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।
महाशय,

मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 21.01.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है—

क्रमांक	मरीज का नाम/ पता निबंधन संख्या	रोग	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	सूर्यवश सिंह पिता—सकलदीप सिंह ग्राम—त्रिमुर्ती नगर न्यू गोसाई टोला, पोस्ट—दानापुर थाना—दानापुर जिला—पटना	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	धर्म शिला देवी पति— चंद्रदेव राय ग्राम— शकरपुर पो०— गंगहरा थाना— शाहपुर जिला— पटना	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
3	अजरह बेगम पति— अली आजम ग्राम— गोआबाडी पो०+थाना— बहादुरगज जिला— किशनगज	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
4	उमाशकर राय पिता— बाबूलाल राय ग्राम— बिस्टौल वार्ड 15 पो०— नबीगंज बाजार थाना— बैकुंठपुर जिला— गोपालगज	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

5	मधुलता कुमारी पति- प्रदीप यादव ग्राम- तेलिया नवटोलिया पो0- तेलिया नौगाय थाना- फुल्लीडुमर जिला- बाका	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
6	सुलोचना देवी पति- स्व0 बाल्मीकि दास ग्राम- सदलपुर पो0- मुगेर थाना- कासिमबाजार जिला- मुगेर	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
7	राजू मंडल पिता- नदी मंडल ग्राम+पो0- महुली थाना- बहेडी जिला- दरभंगा	कैसर रोग	70,000	सत्तर हजार स्वीकृत।
8	अशोक कुमार सिंह पिता- हरी प्रसाद सिंह ग्राम+पो0- बनगामा थाना- बहादुरगज जिला- किशनगंज	कैसर रोग	70,000	सत्तर हजार स्वीकृत।
9	लाल बिहारी महतो पिता- छटु महतो ग्राम- बरनी वार्ड 33 पो0- बरनी थाना- धनरूआ जिला- पटना	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
10	सुनीता देवी पति- राज किशोर प्रसाद ग्राम- दलदली रोड किचटोली पो0- दानापुर कैट थाना- दानापुर जिला- पटना	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
11	मो0 जफरूल पिता- मो0 सफीक ग्राम- दनवा पोकाहर वार्ड 07 पो0- कोल्हुआ पैघम्बरपुर थाना- अहियापुर जिला- मुजफ्फरपुर	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
12	नूरजहा खातून पति- मो0 उसमान असारी ग्राम- शाहपुर बघौनी वार्ड 06 पो0- शाहपुर बघौनी थाना- बैनी जिला- समस्तीपुर	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।

13	महेश चौधरी पिता- स्व० बजरगी चौधरी ग्राम- रूपसपुर वार्ड 03 पो०- धनौत थना- रूपसपुर जिला- पटना	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
14	गोरख सिंह पिता- सरजू सिंह ग्राम+पो०- अहिरौली थाना- औधोगिक जिला- बक्सर	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
15	मो० फिरोज पिता- मो० सलीम ग्राम- चक अब्दुलगनी वार्ड 06 पो०+थाना- मेहसी जिला- पूर्वी चम्पारण	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत ।
16	टुन्नी कुमारी पति- चुन्नु कुमार ग्राम- ऊँटा पछमी गली पो०+थाना- जहानाबाद जिला- जहानाबाद	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
17	विनय कुमार पिता- शम्भू पाल ग्राम- सगुना गौंधी मूर्ति वार्ड 16 पो०- दानापुर कैँट थाना- दानापुर जिला- पटना	कैसर रोग	1,80,000	एक लाख अस्सी हजार स्वीकृत । विशेष परिस्थिति मे ।
18	रीना देवी पति- लालबाबू चौधरी ग्राम+पो०- धतिवना थाना- थावे जिला- गोपालगज	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
19	कल्पना कुमारी पति- शुभम कुमार ग्राम- चक अब्दुल रहमान वार्ड 12 पो०- आदि गोपालपुर थाना- बोचहा जिला- मुजफ्फरपुर	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
20	निगारन खातून पति- मो० ऐजाज आलम ग्राम- मिरजादपुर वार्ड 08 पो०- चौकी हरिपुर थाना- कदवा जिला- कटिहार	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत ।
21	मस्तूरा खातून पति- अबुल कलाम ग्राम- सालता वार्ड 01 पो०- हफनिया थाना- अमौर जिला- पूर्णियाँ	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत ।

22	लालबनु खातून पति- सुक्रोददीन पो0- टंगटगी वार्ड 01 पो0- पदमपुर थाना- गर्भडांगा जिला- किशनगज	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
23	मो0 उसमान पिता- डोमन अली ग्राम- चैनगज वार्ड 04 पो0- सरायकुडी थाना- पौआखाली जिला- किशनगज	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
24	सजय कुमार पिता- महेद्र यादव ग्राम- पोस्तापुर सधवारा वार्ड 04 पो0- पिडारूच थाना- केवटी जिला- दरभंगा	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
25	रोहीन मडल पिता- बद्री मडल ग्राम- श्रीरामपुर वार्ड 13 पो0- चम्पानगर थाना- नाथनगर जिला- भागलपुर	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
26	सज्जाद पिता- मो0 इस्माइल ग्राम+पो0- अलता हाट थाना- कोचाधामन जिला- किशनगज	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
27	बिनोद कुमार मंडल पिता- रामेश्वर मंडल ग्राम- बकिया दियारा पो0- बकियासुखाय थाना- बरारी जिला- कटिहार	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
28	सरोजिया देवी पति- सदीप कुमार ग्राम- बेलही वार्ड 10 पो0- थरबिहटा थाना- किशनपुर जिला- सुपौल	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
29	गुलशन खातून पति- मोवीन असारि ग्राम- भोरहा वार्ड 12 पो0- अन्हारी थाना- रिगा जिला- सीतामढी	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।

30	भुनेश्वर मडल पिता- नथू मडल ग्राम- सिमराहा पो0- नौआबाखर थाना- किशनपुर जिला- सुपौल	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
31	शुकदेव पंडित पिता- गोपाल पंडित ग्राम- अरवरिया वार्ड 02 पो0- हैयाडिह थाना- सोनो जिला- जमुई	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
32	वीरवती देवी पति- महेसी दास ग्राम- कुसमारी वार्ड 14 पो0- खारसान थाना- रिगा जिला- सीतामढी	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
33	द्वौपदी देवी पति- श्री राम ग्राम- मलूका टोला वार्ड 07 पो0- चनायन बाध थाना- मझौलिया जिला- पश्चिम चम्पारण	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
34	नुनवती देवी पति- राजगीर पासवान ग्राम- बसूली टोल वार्ड 14 पो0- लोदियाही थाना- बछवाडा जिला- बेगूसराय	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
35	मो0 इमरान पिता- मो0 अमिन ग्राम- पियकर वार्ड 08 पो0- सोनदीप थाना- धमदाहा जिला- पूर्णियाँ	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
36	कृष्णा कुमार ठाकुर पिता- इन्द्रनारायण ठाकुर ग्राम- पांडा टोला वार्ड 03 पो0+थाना- सिहेश्वर जिला- मधेपुरा	कैसर रोग	70,000	सत्तर हजार स्वीकृत।
			25,80,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 25,80,000/- (पच्चीस लाख अस्सी हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 002567 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता

सं-36930644306 खाता धारक का नाम-"बुद्धा कैसर सेंटर प्रा० लि०" खाते का प्रकार-चालू बैंक का नाम- स्टेट बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम- RTGS/IFSC कोड सं० SBIN0017469 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. चिकित्सा CGHS के दर पर की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तथा पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि विभाग को 10 दिनों के अंदर वापस किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छ) माह होगी।
8. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 238 (14)

पटना, दिनांक 28/11/2024

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 0125.64 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/आई. टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, सबधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स० स०- 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
एस.एस. अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर
मलाही पकड़ी, कंकड़बाग, पटना 20

पटना, दिनांक.

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 21.01.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।-

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	विजय सिंह पिता- मुनेश्वर सिंह ग्राम- दिघी कला पूर्वी पो०- दिघी कला थाना- हाजीपुर जिला- वैशाली	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	सोभा देवी पति- अनील कुमार साह ग्राम+पो०- हुसैना थाना- बलिया जिला- बेगूसराय	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	मनोज पासवान पिता- दीनानाथ पासवान ग्राम- जगदीशपुर वार्ड 06 पो०- जगदीशपुर थाना- जयरामपुर जिला- शेखपुरा	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
4	भोली देवी पति- शिवनारायण मडल ग्राम- सतवेर पो०- तीराखारदह थाना- बरदाहा जिला- अररिया	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

5	एजाज आलम पिता- एहसानुल हक ग्राम- बिजौल पो0- मधेपुर थाना- तेलता जिला- कटिहार	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
6	सरोज यादव पिता- डोमि प्रसाद यादव ग्राम+पो0- नन्दलाली थाना- बिहरा जिला- सहरसा	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
7	आशा देवी पति- विजय सिंह ग्राम- महारानी चौक गोविंदपुर कुर्था पो0+थाना- फतुआ जिला- पटना	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
8	चिता देवी पति- देवेद्र राय ग्राम- बाजितपुर चक कस्तूरी वार्ड 09 पो0- सहदेई बुजुर्ग थाना- सहदेई जिला- वैशाली	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
9	तारकेश्वर प्रसाद पिता- फागुन ठाकुर ग्राम- जहागीरपुर पो0+थाना- सोनपुर जिला- सारण	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
			6,80,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 6,80,000/- (छः लाख अस्सी हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 0025864 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 5020 418 8262 खाता धारक का नाम-एस0एस0 हौस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर" खाते का प्रकार-चालू, बैंक का नाम- इंडियन बैंक, शाखा का नाम- हनुमान नगर, कंकड़बाग, पटना, RTGS/IFSC कोड सं0 IDIB000H531 में अंतरित किया जाता है।
- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

4. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
7. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)


निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 239 (14)

पटना, दिनांक 28/1/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 002567 की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका-2 मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/आई टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग पटना, संबधित मरीजो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख



स0स0'14 / एम-11-1 / 2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक
डा० बीमल अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर
(प्रा. लि०) सगुना मोड, बेली रोड
पटना -801503

पटना, दिनांक

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक- 21.01.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	रीता देवी पति-जितेन्द्र कुमार सिंह ग्राम-खैरही पोस्ट-बडहरी थाना-करगहर जिला-रोहतास	Lap. Cholecystectomy	30,000	तीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			₹ 30,000/-	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 30,000/- (तीस हजार) ₹० के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 01025 #67.द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं०- 442820110000158 खाता धारक का नाम-DR. BIMAL HOSPITAL AND RESEARCH CENTRE PVT.LTD खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम-बोरिंग कनोल रोड, पटना, बिहार-800001 RTGS/IFSC कोड सं० BKID 0004428 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है।

- प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- **30121380424, IFSC Code- SBIN0006379**, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
 6. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
 7. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

पटना, दिनांक 28/11/2026

ज्ञापाक 240(14)

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 0025661 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / आई टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना / संबंधित मरीजो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
बीग अपोलो स्पेक्ट्रा अस्पताल
शीतला मंदिर रोड नीयर सप हाउस
अगमकुआ पटना 800007

पटना, दिनांक .. .

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक- **21.01.2026** की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	सुनील कुमार पिता- रामलहवर भगत ग्राम- छत्रपति पो0- हरनाही थाना- बरुराज जिला- मुजफ्फरपुर	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
2	शमशेर अंसारी पिता- समसुद्दीन अंसारी ग्राम+पो0+थाना- कुर्या जिला- अरवल	हृदय रोग पीटीसीए	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
3	चादना रानी सिंह पति- मनोज प्रसाद सिंह ग्राम- अम्बेर सिरिस्तल पो0+थाना- बिहारशरीफ जिला- नालदा	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
			2,05,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,05,000/- (दो लाख पाँच हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 **0025867** द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स0-1714354694 खाता धारक का नाम-"BIG Apollo Spectra Hospital खाते का प्रकार-चालू बैंक का नाम- कोटक महिन्द्रा बैंक,(गांधी मैदान पटना) शाखा का नाम RTGS/IFSC कोड स0- KKBK0000351 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
7. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० श्रीमती) रेखा झा


निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 24/14

पटना, दिनांक 28/1/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 0025761 को कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे) /आई टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ संबंधित मरीजो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

स0स0-14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
ऑक्सीजन ड्रामा एण्ड मल्टी स्पेशलीटी अस्पताल,
मौर्या कॉलोनी, बिस्कोमान गोलम्बर,
साउथ ऑफ कुम्हरार ब्रीज, पटना-800007

पटना, दिनांक

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 21.01.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	चन्दन कुमार पिता- सच्चिदानन्द सिंह ग्राम+पो0- फतेहपुर थाना- दीदारगज जिला- पटना	ड्रामा	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
2	अविनाश कुमार सिंह पिता- राधे श्याम सिंह ग्राम- नदवान बाढ पो0+थाना- बाढ जिला- पटना	वन हीप रिप्लेसमेंट	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
3	आशा देवी पिता- भोला मोदी ग्राम- लक्ष्मीपुर पो0- सिघचक थाना- सूर्यगढा जिला- लखीसराय	स्पाईन सर्जरी	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
4	लखिन्द्र कुमार पिता- राम प्रताप राय ग्राम+पो0- काचा थाना- घटहो जिला- समस्तीपुर	एसीएल	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
5	रुद्र प्रताप पिता- राकेश सिंह ग्राम+पो0- गोरईपुर थाना- अवतारनगर जिला- सारण	ड्रामा	10,000	दस हजार स्वीकृत।
			2,70,000	

2 उक्त अनुदान की कुल राशि रू० 2,70,000/- (दो लाख सत्तर हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं० 30121380424

एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 002576 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0- 33569032861 खाता धारक का नाम-“ऑक्सीजन ट्रामा एंड मल्टीस्पेशलीटी अस्पताल ” खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- स्टेट बैंक आफ इण्डिया, शाखा का नाम -गुलजारबाग, अशोक राजपथ, पटना सिटी, पटना RTGS/IFSC कोड सं0 SBIN 0001496 मे अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि एक सप्ताह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
7. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

पटना, दिनांक 28/11/2026

ज्ञापक 242(14)

प्रतिलिपि- शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है लग्न चेक सं0 002576 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/सभी सबधित मरीजो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

स0स0'14 / एम-11-1 / 2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक
क्यूरिस अस्पताल,
आर० के० पुरम मोड
नियर सगुना मोड, दानापुर
खगौल रोड, पटना-801503

पटना, दिनांक ...

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक- 21.01.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	सूरज कुमार पिता- सोनू सिंह ग्राम+पो०- बरनौन थाना- आयर जिला- भोजपुर	ड्रामा	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
2	प्रशांत कुमार श्रीवास्तव पिता- सुनील कुमार श्रीवास्तव ग्राम- कोट बाजार महारानी सीतामढी पो०+थाना- सीतामढी जिला- सीतामढी	ड्रामा	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
3	विजय कुमार पिता- शिव कुमार सिंह ग्राम+पो०- महथी धर्मचंद थाना- तिसिओता जिला- वैशाली	ड्रामा	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
4	साहिल कुमार पिता- विजय राय ग्राम- शकरपुर ब्रह्मचारी पो०- शेरपुर थाना- मनेर जिला- पटना	ड्रामा	50,000	पचास हजार स्वीकृत।

5	सतोष कुमार पिता- स्व० रामानंद सिंह ग्राम- गुडगाव पो०- खगौल थाना- शाहपुर जिला- पटना	स्पाईन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			3,00,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 3,00,000/- (तीन लाख) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं० ~~0025164~~ द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं० 50200020792300 खाता धारक का नाम- M/S PUSHPAM CARE AND CURE PVT LTD. खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-एच०डी०एफ०सी०, शाखा का नाम- RTGS/IFSC कोड सं० HDFC 0003961 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
- आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)


निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 243(14)

पटना, दिनांक 28/11/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० ~~0025164~~ की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
अधीक्षक,
होमी भाभा कैंसर अस्पताल,
एड रिसर्च सेटर एस०के०एम० सी० एच कैम्पस,
उमा नगर मुजफ्फरपुर-842004

पटना, दिनांक.

विषय – मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 21.01.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	नागेश्वर यादव पिता- महादेव यादव ग्राम- नीमा टोला दिन दयाल नगर पो०- पाण्डेय परसावा थाना- मगध मेडिक जिला- गयाजी केस फाईल न०- 11एफ2025/016115	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	लाल बाबू साह पिता- स्व० सहदेव साह ग्राम- रूसूलपुर वाजिद पो०- भीखनपुर थाना- अहियापुर जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल न०- केडी/80418	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
			1,40,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,40,000/- (एक लाख चालीस हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०- 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं० 0025... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं०-TMC A/C HBCH and RC, Muzaffarpur A/c No- 59126012021000 खाता धारक का नाम-"होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल, एड रिसर्च सेटर मुजफ्फरपुर", खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-एच०डी०एफ०सी० बैंक लि०, शाखा का नाम-RTGS/IFSC कोड सं० HDFC 0000084 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियो का मिलान कर चिकित्सा प्रारम्भ किया जाय। अनावश्यक रोगियो को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
7. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 244(14)

पटना, दिनांक 28/11/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 0025.61 की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका-2 मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी सबधित मरीजो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,

मेडिवर्सल सुपर स्पेशलीटी अस्पताल,

(यूनिट आफ मेडिवर्सल हेल्थकेयर प्रा० लि०)

डाक्टर कोलनी 90 फीट रोड,

कंकडबाग पटना 20

पटना, दिनांक.....

विषय— मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक— 21.01.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	अजित कुमार चौधरी पिता— विमलेन्दू चौधरी ग्राम— एलआईजीएच 62 होइसिंग कॉलोनी कंकडबाग पो०— लोहिया नगर थाना— कंकडबाग जिला— पटना	Bipolar Arthroplasty (hip)	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
2	राजहस कुमार पिता— स्व० ब्रह्मदेव मडल ग्राम+पो०— बहादुरपुर थाना— औद्योगिक जिला— भागलपुर	Past Craniotomy	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
3	अजय कुमार पिता— स्व० राम भवन सिंह ग्राम— कदम गली गया लाइन तिनपुलवा जय प्रकाश नगर पो०— जीपीओ थाना— जक्कनपुर जिला— पटना	हृदय रोग पीटीसीए	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

4	रेणु देवी पति- अरविद प्रसाद ग्राम- कुसेता पो0- मदछा थाना- हिलसा जिला- नालंदा	मेजर ब्रेन सर्जरी	2,00,000	दो लाख स्वीकृत।
			4,50,000 /-	

- उक्त अनुदान की कुल राशि रू0 4,50,000/- (चार लाख पचास हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 ~~002564~~ द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स0-00030400000914 खाता धारक का नाम-"Mediversal Health Care Pvt. Ltd खाते का प्रकार-चालू बैंक का नाम- बैंक आफ बड़ौदा, शाखा का नाम पटना मेन ब्रांच, पटना RTGS/IFSC कोड स0 BARBOPATNAX मे अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
- स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
- आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझें।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 245(14)

पटना, दिनाक 28/11/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं0 ~~002564~~ की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कंडिका-2 मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ संबधित मरीजो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
एशियन सिटी अस्पताल
पी० एम मॉल, पाटलीपुत्रा
इंडस्ट्रीयल ऐरिया
पटना 800013

पटना, दिनांक . . .

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक- 21.01.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	अतिश कुमार राय पिता- उमेश राय ग्राम- केवटिया पो०+थाना- दरियापुर जिला- सारण	द्रामा	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
			₹ 60,000/-	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 60,000/- (साठ हजार) रू० के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स० 0025#64 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता स०-020384600000324 खाता धारक का नाम BLUE SAPPHIRE HEALTH CARES PVT.LTD. Payable at Patna खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- YES BANK शाखा का नाम यश बैंक लि०, ग्राउड फ्लोर ए-11/33 अलकार सिनेमा रोड, लाजपत नगर-II नई दिल्ली-110024 RTGS/IFSC कोड स० YESB0000203 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा। प्राक्कलन CGHS के दर पर ही निर्गत किया जाय।
- यदि स्वीकृतादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
7. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
8. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि एक सप्ताह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 246 (14)

पटना, दिनांक 28/11/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलक सं०.००२५६१ की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/सभी सबधित मरीजो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाए
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

निदेशक,
Pancardia Heart & Multi Super Speciality Hospital
(P) Pvt. G-124, P.C. Colony, Main Road,
Near Domino's Pizza, Kankarbagh,
Patna - 800020

पटना, दिनांक.....

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृति समिति की दिनांक 21.01.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	
1	काति देवी पति- बालचंद माझी ग्राम- आतौआ वार्ड 05 पो०- गोनवा थाना- कादिरगज जिला- नवादा	हृदय रोग एवीआर	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	धीरेन्द्र कुमार पिता- स्व० लक्ष्मी सिंह ग्राम- रमन डिहरा वार्ड 11 पो०- मानी थाना- बिक्रमगज जिला- रोहतास	हृदय रोग डीवीआर	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			2,00,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,00,000/- (दो लाख) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक स० 002567 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स०- 50200060079860 खाता धारक का नाम- Pancardia Heart and Multi super Speciality Hospital Pvt. Ltd. खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- HDFC Bank Ltd., शाखा का नाम- , RTGS/IFSC कोड सं० HDFC0000477 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को

कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. चिकित्सा CGHS के दर पर ही की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करे। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि छ माह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
8. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० श्रीमती) रेखा झा)


निदेशक प्रमुख

पटना, दिनांक 28/11/2026

ज्ञापाक 247(14)

प्रतिलिपि- शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 002561 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे) आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
हार्ट अस्पताल प्रा० लिमिटेड (चन्द्रालय)
बी/29 पत्रकार नगर
ककडबाग, पटना-20

पटना, दिनांक

विषय – “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 21.01.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित वीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है—

क्र० सं०	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	गीता देवी पति- सुरेश प्रसाद ग्राम- हरिश्चंद्र नगर नियर पटेल द्वार पो०- डेलवाँ थाना- बेउर जिला- पटना	हृदय रोग पीटीसीए	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	सावित्री देवी पति- योगेद्र साह ग्राम- खेसराही वार्ड 03 पो०- खेसराही थाना- पातेपुर जिला- वैशाली	हृदय रोग पीटीसीए	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
3	विजय कुमार खरवार पिता- स्व० रामधिन खरवार ग्राम- बरुना बीठलपुर पो०- बरुना थाना- औधोगिक जिला- बक्सर	हृदय रोग पीटीसीए	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			3,00,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 3,00,000/- (तीन लाख) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” खाता स०- 30121380424, एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स० 002567 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स० 30002849889 खाता धारक का नाम-“HEART HOSPITAL LTD. कंकडबाग पटना 20” खाते का प्रकार- चालू बैंक

का नाम—एस0 बी0 आई0, शाखा का नाम . RTGS/IFSC कोड स0 SBIN 0004445 मे अतरित किा जाता है।

- 3 चिकित्सा CGHS के दर पर ही की जाय। चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तथा पूर्व की शेष/ अनुप्रयुक्त राशि विभाग को 10 दिनों के अंदर वापस किया जाय।
- 4 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- 5 यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
8. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह0/—

(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 248(14)

पटना, दिनाक 28/1/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है किन चेक स0 0025764 की कुल राशि का अतरण उपरोक्त की कडिका-2 मे वर्णित खाताधारक को कजाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों मे)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सबधित मरीजो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

निदेशक,

Medaz Super Speciality Hospital Pvt. Ltd.,

Biscomaun Colony Golamber

(Bajrangpuri) Gai Ghat Road, Near Gandhi Setu,

Patna-800007

पटना, दिनांक

विषय – “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 21.01.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है:-

क्र० सं०	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	शशि सिंह शेखर पिता- प्रभात कुमार ग्राम- मोरातालाव वार्ड 10 पो०- मोरातालाव थाना- नालदा जिला- नालदा	ब्रेन हैमरेज	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			1,00,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,00,000/- (एक लाख) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” खाता स०- 30121380424, एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक स० 0125967... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता स०- 5467201000112 खाता धारक का नाम-“MEDAZ SUPER SPECIALITY HOSPITAL PVT. LTD.,” खाते का प्रकार-, बैंक का नाम- CANARA BANK, शाखा का नाम- PATNA SANDALPUR, RTGS/IFSC कोड स०- CNRB0005467 में अंतरित किया जाता है।
- चिकित्सा CGHS के दर पर ही की जाय। चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तथा पूर्व की शेष/ अनुप्रयुक्त राशि विभाग को 10 दिनों के अंदर वापस करें।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान



की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।

6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
7. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
8. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
इसे अत्यावश्यक समझें ।

विश्वासभाजन

ह०/-


(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 249(14)

पटना, दिनांक 28/1/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है किन चेक सं० 0025064 की कुल राशि का अतरण उपरोक्त की कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कजाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई डी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ संबंधित मरीजो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
Vista Hospital,
1/1103 Near Patna Central School,
Bypass Road, Jaganpura,
Patna- 800027

पटना, दिनांक . . .

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 21.01.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	आशिक कुमार पिता-मुन्ना शर्मा ग्राम+पोस्ट-लावापुर हरनारायण, थाना-महनार जिला-वैशाली	मेजर ट्रामा	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	नूतन कुमारी पिता- सुरेद्र प्रसाद ग्राम- धधारापर वार्ड 03 पो- लखावर थाना- भेलावर जिला- जहानाबाद	Laparosco pic Ovarian Cystotomy	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			1,50,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० ~~0025~~ द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं०- 120031898022 खाता धारक का नाम- Vista Hospital Pvt. Ltd., खाते का प्रकार-, बैंक का नाम- Canara Bank, शाखा का नाम- Patna Central School, Jaganpura, RTGS/IFSC कोड सं०- CNRB0017435 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।

4. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
7. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन
ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापक 250(14)

पटना, दिनांक 28/1/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 002561 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई० टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
बी०एस०एल, आई केयर,
रवीन्द्र बालिका विद्यालय रोड न०-2
राजेन्द्र नगर पटना-800016

पटना, दिनांक

विषय – मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के सबध में।
महाशय,

मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृति समिति की दिनांक 21.01.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	
1	योगेन्द्र प्रसाद पिता-स्व० झुन्नु राम ग्राम-बिहाइड कारपोरेशन स्कुल नाबार्ड अपार्टमेंट पोस्ट+थाना-शास्त्री नगर जिला-पटना	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
2	सुरेन्द्र कुमार पिता-बालेश्वर दास ग्राम-कादिरगज पोस्ट-खलीलबाद नेतौल थाना-कादिरगज जिला पटना	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
3	गनौरी पासवान पिता-केश्वर पासवान ग्राम-पकौडा डीह पो०-खलीलाबाद नेतौल थाना-कादिरगज जिला-पटना	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
4	टनु राम पिता-झुरी राम ग्राम-महुआ बिगहा पोस्ट-सरसा थाना-परस बिगहा जिला-जहानाबाद	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।

5	आलो राम पिता-चुल्हन राम ग्राम-दाउदपुर पोस्ट+थाना-मसौढी जिला-पटना	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
6	नवीसा खातुन पति-मो० अलीम ग्राम+पो० -अंधना थाना-नुरसराय जिला नालदा	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
7	राम प्रवेश राय पिता-गोपाल राय ग्राम-रानीपुर पोस्ट+थाना-फुलवारीशरीफ जिला-पटना	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
8	हजारी प्रसाद पिता-राम वरन सिंह ग्राम-रानीपुर पोस्ट-फुलवारी शरीफ थाना-फुलवारी शरीफ जिला-पटना	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
9	मीरा देवी पति-सोहन उडन ग्राम-रानीपुर पो०+थाना-फुलवारीशरीफ जिला-पटना	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
10	प्रमोद पासवान पिता-राम प्रवेश पासवान ग्राम-रानीपुर पोस्ट+थाना-फुलवारीशरीफ जिला पटना	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
11	शाति देवी पति-रामेश्वर साव ग्राम+पो०-सहार थाना-आरा जिला-भोजपुर	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
12	रामनाथ साह पिता-यदु साव ग्राम+पो०-सहार थाना-आरा जिला-भोजपुर	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
13	राजेन्द्र राम पिता-स्व० मनरूप राम ग्राम+पो०-नोआवां थाना-शकुराबाद जिला-जहानाबाद	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।

14	मीना देवी पति-रामजी शर्मा ग्राम-बसतपुर पोस्ट-गोनावा थाना-जहानाबाद नगर जिला-जहानाबाद	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
15	सुनैना देवी पति-प्रमोद प्रसाद गुप्ता ग्राम+पो0-शकुराबाद थाना-शकुराबाद जिला-जहानाबाद	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
			1,50,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 002567...द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0-295711100000885 खाता धारक का नाम-B.S.L. EYE CARE खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-युनाईटेड बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम नाला रोड कदमकुआ RTGS/IFSC कोड सं0 UBIN0829579 में अंतरित किया जाता है।
- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- 4 यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. चिकित्सा CGHS के दर पर ही की जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
- 7 पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि छ. माह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।

- 8 आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 251 (14)

पटना, दिनांक 28/1/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स०. 002564 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबन्धित मरीजो के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
शेखर आई केयर एंड लेजर सेटर
राजीव नगर रोड न०-०,
नाला पर आशियाना
पाटलीपुत्रा मार्ग केसरी नगर
पटना-800024

पटना, दिनांक.

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक- 21.01.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	मनोज कुमार पिता- महेन्द्र प्रसाद ग्राम- छोटी नगला पटना सिटी पो०- माधव मिल्स पटना सिटी थाना- मालसलामी जिला- पटना	Cataract Surgery	20,000	बीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			20,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 20,000/- (बीस हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०- 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० ~~0025467~~ द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं०- 291311100000760 खाता धारक का नाम- SHEKHAR EYE CARE AND LASER CENTRE खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- UNION BANK OF INDIA, शाखा का नाम- BAILEY ROAD, RTGS/IFSC कोड सं०- UBIN0829137 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम-

“मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

6 आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

7 स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छ) माह होगी।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 252(14)

पटना, दिनांक 28/1/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं०. 0025-67 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

सं० स० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
सार्प साईट आई० हौस्पिटल,
आध्या हाईट आशियाना मोड,
आशियाना दीघा रोड,
पटना 800025

पटना, दिनांक.

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक- 21.01.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	गौरव कुमार पिता- महावीर प्रसाद ग्राम+पो०- अईमा थाना- खिजरसराय जिला- गयाजी	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
2	रेनू कुमारी पति- निवासा चारी ग्राम- प्रोफेसर कॉलोनी जहानाबाद पो०+थाना- जहानाबाद जिला- जहानाबाद	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
			₹ 20,000/-	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 20,000/- (बीस हजार) रू० के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०- 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० ~~0015067~~ द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं० **50200043954418** खाता धारक का नाम- 'SHARP SIGHT CENTER EAST U/O SSL CP LTD' खाते का प्रकार- बैंक का नाम- HDFC Bank PVT LTD, शाखा का नाम- LAXMI NAGAR DIST CENTER VIKASH MARG, NEW DELHI - 110092, RTGS/IFSC कोड सं० HDFC0000120 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय

- अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. चिकित्सा CGHS के दर पर की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तथा पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि विभाग को 10 दिनों के अंदर वापस किया जाय।
 6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
 7. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
 8. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 253 (14)

पटना, दिनांक 28/11/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 002569 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी संबंधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
Bright Sight Eye Hospital,
26B Saket, 2nd Floor,
Beside Disha Deaddiction Centre,
Patliputra Colony, Patna - 800013

पटना, दिनांक

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक- 21.01.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	अर्जुन महतो पिता-मुनेश्वर महतो ग्राम+पो०-दीप नगर थाना-दीप नगर जिला नालन्दा	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
2	लखन यादव पिता-छोटन यादव ग्राम+पो०-दीप नगर थाना-दीप नगर जिला नालन्दा	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
3	जयनन्दन पाण्डेय पिता-कपिलदेव पाण्डेय ग्राम+पो०-दीप नगर थाना-दीप नगर जिला नालन्दा	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
4	विन्दा महतो पिता-सरजु महतो ग्राम+पो०-दीप नगर थाना-दीप नगर जिला नालन्दा	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
5	जागेश्वर यादव पिता-नन्हकु यादव ग्राम+पो०-दीप नगर थाना-दीप नगर जिला नालन्दा	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।

6	सीता राम पाण्डेय पिता-कपिलदेव पाण्डेय ग्राम+पो0-दीप नगर थाना-दीप नगर जिला नालन्दा	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
7	मनगौरी देवी पति-राम प्रवेश ग्राम-तुलसीचक पोस्ट-डीहारी थाना-पीपडा जिला पटना	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
8	प्रमिला देवी पति-यदुनदन राम ग्राम-मोरवाडीह पोस्ट-मोरवा थाना-मुसरी घरारी जिला-समस्तीपुर	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
9	तारावती देवी पति-महेन्द्र पासवान ग्राम-चक हबीब पो0-गगापुर थाना-मुसरी घरारी जिला-समस्तीपुर	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
10	विन्देश्वर राम पिता-मोहित राम ग्राम-मोरवाडीह पोस्ट-मोरवा थाना-मुसरी घरारी जिला-समस्तीपुर	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
11	अजित पासवान पिता-रामचन्द्र पासवान ग्राम-चकहबीब पोस्ट-गगापुर थाना-मुसरीघरारी जिला-समस्तीपुर	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
12	सुदामा देवी पति-गुलाबचद राम ग्राम-मोरवाडीह पोस्ट-मोरवा थाना-मुसरी घरारी जिला-समस्तीपुर	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
13	राजेन्द्र राम पिता-चद्रदेव राम ग्राम-मोरवाडीह पोस्ट-मोरवा थाना-मुसरी घरारी जिला-समस्तीपुर	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।

14	यदुनदन राम पिता-ननकी राम ग्राम-मोरवाडीह पोस्ट-मोरवा थाना-मुसरी घरारी जिला-समस्तीपुर	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
15	धनेश्वर माझी पिता-तोही माझी ग्राम-किशुन बीघा पोस्ट-पैगम्बरपुर थाना-काको जिला जहानाबाद	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
16	केदार माझी पिता-राम विशुन माझी ग्राम-किशुन बीघा पोस्ट-पैगम्बरपुर थाना-काको जिला जहानाबाद	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
17	रामपरी देवी पति-राजबल्लभ यादव ग्राम+पो0-पैगम्बरपुर थाना-काको जिला जहानाबाद	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
18	जय देवी पति-गनौरी मोची ग्राम-अमथुआ पो0-काजी सराय थाना-काको जिला जहानाबाद	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
19	एतवारिया देवी पति-अर्जुन सिंह ग्राम-धरहारा पोस्ट-काजी सराय थाना-काको जिला-जहानाबाद	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
20	पनपतिया देवी पति-कृष्णा प्रसाद ग्राम-अमथुआ पो0-काजी सराय थाना-काको जिला जहानाबाद	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
21	विजन्ती देवी पति-राज बल्लभ सिंह ग्राम-धरहरा पो0-काजी सराय थाना-काको जिला-जहानाबाद	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।

22	श्याम सुंदरी देवी पति-सिद्धेश्वर महतो ग्राम-अमथुआ पोस्ट-काजी सराय थाना काको जिला-जहानाबाद	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
23	सजु देवी पति-रमाशीष यादव ग्राम-धरहरा पो0-काजी सराय थाना-काको जिला-जहानाबाद	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
24	रगु यादव पिता-गिरजा यादव ग्राम-बरबट्टा पो0-नोनही थाना-काको जिला-जहानाबाद	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
25	बालेश्वर यादव पिता-गिरधारी यादव ग्राम-बरबट्टा पो0-नोनही थाना-काको जिला-जहानाबाद	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
26	भसिया देवी पति-बद्री यादव ग्राम-बरबट्टा पो0-नोनही थाना-काको जिला-जहानाबाद	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
27	लक्ष्मण यादव पिता-रोहन यादव ग्राम-बरबट्टा पो0-नोनही थाना-काको जिला जहानाबाद	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
28	दुखन दास पिता-बोधु दास ग्राम-बरबट्टा पो0-नोनही थाना-काको जिला जहानाबाद	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
29	रामजी यादव पिता-रोहन यादव ग्राम-बरबट्टा पो0-नोनही थाना-काको जिला जहानाबाद	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।

30	काति देवी पति-गणेश चौधरी ग्राम-सुखदेव बिगहा पो0-नोनही थाना-काको जिला जहानाबाद	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
31	अरविन्द यादव पिता-सकलदीप यादव ग्राम-बरबट्टा पो0'-नोनही थाना-काको जिला जहानाबाद	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
32	मालती देवी पिता-रामेश्वर यादव ग्राम-जहर बिगहा पो0-सैदाबाद थाना-काको जिला जहानाबाद	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
33	मालती देवी पिता-मुन्नी चौधरी ग्राम-बरबट्टा पो0-नोनही थाना-काको जिला जहानाबाद	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
34	काति देवी पति-सुदेश्वर महतो ग्राम-बरबट्टा पो0'-नोनही थाना-काको जिला जहानाबाद	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
			3,40,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 3,40,000/- (तीन लाख चालीस हजार) रू0 के भुगतान के लिए आपके सरथान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 0025#67 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सरथान/अस्पताल के खाता सं0- 18940210000786 खाता धारक का नाम- 'BRIGHT SIGHT EYE HOSPITAL PVT. LTD' खाते का प्रकार- बैंक का नाम- UCO BANK, KURJEE, PATNA, शाखा का नाम- KURJEE, PATNA, RTGS/IFSC कोड सं0 UCBA0001894 मे अंतरित किया जाता है।
- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- 4 यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय

अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. चिकित्सा CGHS के दर पर की जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तथा पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि विभाग को 10 दिनों के अंदर वापस किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छ) माह होगी।
8. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 254(14)

पटना, दिनांक 28/1/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 0025 # 61 की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में) / आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना / सभी संबंधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11- 01/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

अमरजित सिंह
पिता- स्व० सुरेद्र प्रसाद सिंह
ग्राम- जगदेव नगर नियर गायत्री मंदिर
पो०- औरगाबाद
थाना- टाउन
जिला- औरगाबाद
पिनकोड- 824101

पटना दिनांक

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष की प्राधिकृत समिति की दिनांक 21.01.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपका गुर्दा प्रत्यारोपण के पश्चात दवा पर हुए व्यय वहन के लिए प्रथम किस्त के रूप में कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	अमरजित सिंह पिता- स्व० सुरेद्र प्रसाद सिंह ग्राम- जगदेव नगर नियर गायत्री मंदिर पो०- औरगाबाद थाना- टाउन जिला- औरगाबाद पिनकोड- 824101	Post Kidney Transplant Medicine	1,08,000	एक लाख आठ हजार स्वीकृत। (विभागीय सकल्प संख्या- 213(14) दिनांक-30.01.2024 के आलोक में)
			रु० 1,08,000/-	

- उक्त अनुदान की राशि ₹ 1,08,000/- (एक लाख आठ हजार) के भुगतान के लिए उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स०-30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स० ~~0025067~~ .. द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके खाता स०-50100426169596, खाता धारक का नाम- AMARJEET SINGH, खाते का प्रकार-, बैंक का नाम- HDFC BANK, शाखा का नाम-, IFSC कोड स०- HDFC0001946 में अंतरित किया जाता है।
- निदेश दिया जाता है कि उक्त राशि का उपयोग केवल दवा क्रय/सेवन हेतु ही किया जाए तथा अन्य किसी मद में राशि का उपयोग कदापि न किया जाए।

विश्वासभाजन

ह०/-
(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 280(14)

पटना, दिनाक 28/1/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स0 ~~0.0.25~~ की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक, प्रमुख

RTI ACT 2005

BY

DATE

Or Bearer

50100426169596

ANARJEET SINGH

Anarjeet Singh

स० स० 14/एम 11- 01/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

योगेन्द्र कुमार झा
पिता- नीलाम्बर झा
ग्राम- रहिका कोठा टोल वार्ड 15
पो०+थाना- रहिका
जिला- मधुबनी
पिनकोड- 847238

पटना दिनांक

विषय - मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष की प्राधिकृत समिति की दिनांक 21.01.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपका गुर्दा प्रत्यारोपण के पश्चात दवा पर हुए व्यय वहन के लिए प्रथम किस्त के रूप में कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	योगेन्द्र कुमार झा पिता- नीलाम्बर झा ग्राम- रहिका कोठा टोल वार्ड 15 पो०+थाना- रहिका जिला- मधुबनी पिनकोड- 847238	Post Kidney Transplant Medicine	1,08,000	एक लाख आठ हजार स्वीकृत। (विभागीय सकल्प संख्या- 213(14), दिनांक-30.01.2024 के आलोक में)
			रु० 1,08,000/-	

- उक्त अनुदान की राशि ₹ 1,08,000/- (एक लाख आठ हजार) के भुगतान के लिए उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स०-30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स० 0025467 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके खाता स०-32103219485, खाता धारक का नाम- YOGENDRA KUMAR JHA, खाते का प्रकार- SAVINGS BANK ACCOUNT, बैंक का नाम- STATE BANK OF INDIA, शाखा का नाम- RAHIKA, IFSC कोड स०- SBIN0005897 में अंतरित किया जाता है।
- निदेश दिया जाता है कि उक्त राशि का उपयोग केवल दवा क्रय/सेवन हेतु ही किया जाए तथा अन्य किसी मद में राशि का उपयोग कदापि न किया जाए।

विश्वासभाजन


ह०/-
(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 281(14)

पटना, दिनाक 28/1/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स0.025.164 की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

Generally used abbreviations

A/c = Account	dep = Deposit	Pr = Principal
Adj = Adjustment	Dft = Draft	proc = Processing Charge
Amt =	dish/dsh = Dishonour	rd = Recurring Deposit
Ar = /	DR = Debit	ret/rtn = Return
bal =	DoB = Date of Birth	Rnd = Round of
Capn	eft = Electronic Fund Transfer	sb = Savings Bank
chg/c	Inop = Inoperative	SC = Short Credit
chg =	ins = Insurance	SI/So/SORD = Standing Instruction
Clos	int/in = Interest	S/D/W/H/o=Son/Daughter/Wife/Husbandof
coll =	lon/in = Loan	tr/trf/xfer = Transfer
comr	min = Minimum	TT = Telegraphic Transfer
COR	os = Outstanding	txn = Transaction
CR =	P & T = Postage & Telegram	Wdl = Withdrawal
csh = Cash	Pos = Point of sale	+MOD bal=total balance (SB+linked MOD a/c)

राज्य संचित बैंक

राहिका 7-1037
Rahika



State Bank of India

ATM pin card
Qu
9/5/16
Q-

Savings Bank Account

CIF No : 36223219384
Account No : 32103219485
Customer Name: YOGENDRA KUMAR JHA

RAHIKA
AT PO-RAHIKA

S/D/W/H/o: S/O- NILAMBAR JHA
Address: S/O- NILAMBAR JHA
VILL & PO- RAHIKA
PS- RAHIKA

Phone: 254660
Email: sbi.05897@sbi.co.in
Branch Code: 5897
Date of Issue: 04/01/2012
04/01/2012 2019963 5897
FIRST

Phone:
Email:
D.O.B. (If Minor):
MOP.:
Nom. Reg. No.:
Nomination Name:

शाखा प्रबंधक
Branch Manager

स० स० 14/एम 11- 01/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
तौफीक आलम
पिता- मो० मुस्ताक आलम
ग्राम- बडी सगत वार्ड 21
पो०+थाना- जहानाबाद
जिला- जहानाबाद
पिनकोड- 804408

पटना दिनांक.....

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष की प्राधिकृत समिति की दिनांक 21.01.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपका गुर्दा प्रत्यारोपण के पश्चात दवा पर हुए व्यय वहन के लिए प्रथम किस्त के रूप में कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	तौफीक आलम पिता- मो० मुस्ताक आलम ग्राम- बडी सगत वार्ड 21 पो०+थाना- जहानाबाद जिला- जहानाबाद पिनकोड- 804408	Post Kidney Transplant Medicine	1,08,000	एक लाख आठ हजार स्वीकृत। (विभागीय सकल्प संख्या- 213(14), दिनांक-30.01.2024 के आलोक में)
			रु० 1,08,000/-	

- 2 उक्त अनुदान की राशि ₹ 1,08,000/- (एक लाख आठ हजार) के भुगतान के लिए उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स०-30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स० 0025061 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके खाता स०-20394597289, खाता धारक का नाम- TAFIQUE ALAM, खाते का प्रकार- SAVINGS BANK ACCOUNT, बैंक का नाम- STATE BANK OF INDIA, शाखा का नाम-PINJAUR, IFSC कोड स०-SBIN0015596 में अंतरित किया जाता है।
- 3 निदेश दिया जाता है कि उक्त राशि का उपयोग केवल दवा क्रय/सेवन हेतु ही किया जाए तथा अन्य किसी मद में राशि का उपयोग कदापि न किया जाए।

विश्वासभाजन

ह०/-
(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 282(14)

पटना, दिनाक 28/1/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स0 0025 1.64 की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका-2 मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों मे)/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

Bank Name — S.B.I
 A/c No — 20394597289
 IFSC code — SBIN0015596

Capn = Capitalization	DoB = Date of Birth	Rnd = Round of
chrg ch = Charge	eft = Electronic Fund Transfer	sb = Saving Bank
chq = Cheque	Inop = Inoperative	SC = Short Credit
Cos = Closure	ins = Insurance	SI/Sol/SORD = Standing Instruction
col = Collection	int/in = Interest	S/D/W/H/o = Son/Daughter/Wife/Husband of
comp = Commission	lon/n = Loan	tr/tr/xfer = Transfer
COF/CO/P = Correction	min = Minimum	T = Telegraphic Transfer
Cr = Credit	os = Current	Tr = Transaction
Cur = Cash	P & T = Postage & Telegram	Wd = Withdrawal
	Pos = Point of sale	+ MOD bal = total balance (SB+linked MOD a/c)

photo
 19/4/20

भारतीय स्टेट बैंक



State Bank of India

TAUFIQUE ALAM
 MD MUSTAK ALAM
 80750972248
 2039457289
 Savings Bank account
 MUSTAK ALAM
 DISTRICT HEAD OFFICE
 PS - DISTRICT HEAD OFFICE
 BHANABAD

BRANCH NO. 15596
 PHONE NO. 00200-112
 IFSC SBIN0015596
 BRANCH NO. 15596
 MTCB NO. 2002500
 HOP NO. 11
 A/C OPENED BY
 Nom Pse No. 11
 Customer
 Date of
 CONTIN

taufiquealamin@gmail.com

शाखा प्रबंधक
 Branch Manager

श्री/श्रीमती का नाम

श्री/श्रीमती का पता

स० स० 14/एम 11- 01/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

ओम प्रकाश यादव
पिता- मुटूर यादव
ग्राम- कुटिया वार्ड 10
पो०- छितौना
थाना- विजयीपुर
जिला- गोपालगज
पिनकोड- 841426

पटना दिनांक

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष की प्राधिकृत समिति की दिनांक 21.01.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपका गुर्दा प्रत्यारोपण के पश्चात दवा पर हुए व्यय वहन के लिए प्रथम किस्त के रूप में कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	ओम प्रकाश यादव पिता- मुटूर यादव ग्राम- कुटिया वार्ड 10 पो०- छितौना थाना- विजयीपुर जिला- गोपालगज पिनकोड- 841426	Post Kidney Transplant Medicine	1,08,000	एक लाख आठ हजार स्वीकृत। (विभागीय सकल्प संख्या- 213(14), दिनांक-30.01.2024 के आलोक में)
			₹ 1,08,000 /-	

- उक्त अनुदान की राशि ₹ 1,08,000/- (एक लाख आठ हजार) के भुगतान के लिए उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं-30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं० ~~0025464~~ द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके खाता सं-7323000100026651, खाता धारक का नाम- OMPRAKASH YADAV, खाते का प्रकार-, बैंक का नाम- PUNJAB NATIONAL BANK, शाखा का नाम-, IFSC कोड सं- PUNB0732300 में अंतरित किया जाता है।
- निदेश दिया जाता है कि उक्त राशि का उपयोग केवल दवा क्रय/सेवन हेतु ही किया जाए तथा अन्य किसी मद में राशि का उपयोग कदापि न किया जाए।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 283(14)

पटना, दिनाक 28/1/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक स० 0005467 की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11- 01/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

रवि रजन कुमार
पिता- अशोक यादव
ग्राम- नरावट
पो०- पियार
थाना- अतरी
जिला- गयाजी
पिनकोड- 823311

पटना दिनांक

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष की प्राधिकृत समिति की दिनांक 21.01.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपका गुर्दा प्रत्यारोपण के पश्चात दवा पर हुए व्यय वहन के लिए प्रथम किस्त के रूप में कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	रवि रजन कुमार पिता- अशोक यादव ग्राम- नरावट पो०- पियार थाना- अतरी जिला- गयाजी पिनकोड- 823311	Post Kidney Transplant Medicine	1,08,000	एक लाख आठ हजार स्वीकृत। (विभागीय सकल्प संख्या- 213(14), दिनांक-30.01.2024 के आलोक में)
			₹ 1,08,000/-	

- उक्त अनुदान की राशि ₹ 1,08,000/- (एक लाख आठ हजार) के भुगतान के लिए उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स०-30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स० 0025.67 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके खाता स०-41048192533, खाता धारक का नाम- RAVI RANJAN KUMAR, खाते का प्रकार- REGULAR SAVINGS BANK ACCOUNT, बैंक का नाम- STATE BANK OF INDIA, शाखा का नाम- KHIJARISARAI, IFSC कोड स०- SBIN0012607 में अंतरित किया जाता है।
- निदेश दिया जाता है कि उक्त राशि का उपयोग केवल दवा क्रय/सेवन हेतु ही किया जाए तथा अन्य किसी मद में राशि का उपयोग कदापि न किया जाए।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 284 (14)

पटना, दिनाक 28/1/2028

प्रतिलिपि— शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स० 0025067 की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


जिदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11- 01/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
जयत कुमार
पिता- अमृत कुमार सिंह
ग्राम- कहारपुर वार्ड 05
पो०- हरियो
थाना- बिहपुर
जिला- भागलपुर
पिनकोड- 853201

पटना दिनांक

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष की प्राधिकृत समिति की दिनांक 21.01.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपका गुर्दा प्रत्यारोपण के पश्चात दवा पर हुए व्यय वहन के लिए द्वितीय किस्त के रूप में कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	जयत कुमार पिता- अमृत कुमार सिंह ग्राम- कहारपुर वार्ड 05 पो०- हरियो थाना- बिहपुर जिला- भागलपुर पिनकोड- 853201	Post Kidney Transplant Medicine	1,08,000	एक लाख आठ हजार स्वीकृत। (विभागीय सकल्प संख्या- 213(14), दिनांक-30.01.2024 के आलोक में)
			रु० 1,08,000/-	

- उक्त अनुदान की राशि ₹ 1,08,000/- (एक लाख आठ हजार) के भुगतान के लिए उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स०-30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स० 0025067 .. द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके खाता स०-42515810623, खाता धारक का नाम- JAYANT KUMAR, खाते का प्रकार- REGULAR SAVINGS BANK ACCOUNT, बैंक का नाम- STATE BANK OF INDIA, शाखा का नाम- JHANDAPUR, IFSC कोड स०- SBIN0005769 में अंतरित किया जाता है।
- निदेश दिया जाता है कि उक्त राशि का उपयोग केवल दवा क्रय/सेवन हेतु ही किया जाए तथा अन्य किसी मद में राशि का उपयोग कदापि न किया जाए।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 285(14)

पटना, दिनाक 28/11/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स0 ~~0025...~~ की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

To report any suspicious activity...

For more information visit <https://www.cybercrime.gov.in>, <https://bank.sbi/web/personal-banking/cyber>



भारतीय स्टेट बैंक
STATE BANK OF INDIA

Branch: ACB JHANDAPUR
AT & PO-JHANDAPUR

Code: 5769

Email: sbi.05769@sbi.co.in
Phone No.: 9816196797
IFSC: SBIN0005769

Bus. Hrs: 10:00:00-16:00:00
MICR: 812002508

Name: Mr. Jayant Kumar
S/D/H/o : AMRIT KUMAR SINGH
CIF Number : 91360882777
Account No.: 42515810623
A/c Type : REGULAR SAVINGS BANK ACCOUNT
Address : S/O: Amrit Kumar Singh

MOP: SINGLE
A/c Opening Dt: 12/12/2023
Nom Reg No: 0000000440501737
Customer's PAN: JROPK0965G
Date of Issue: 12/12/2023
FIRST
Post Code: 85
St. City Flag:

Kaharpur

Phone No. :

Email : jayantkumar9944@gmail.com

D.O.B. (If Minor):

PPO Number :



स० स० 14/एम 11- 01/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

विनोद साव

पिता- कुलेश्वर साव

ग्राम- घोरसारी टोला कचन नगर पो०- भदया

थाना- बाराचट्टी

जिला- गयाजी

पिनकोड- 824201

पटना दिनांक.

विषय - मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष की प्राधिकृत समिति की दिनांक 21.01.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपका गुर्दा प्रत्यारोपण के पश्चात दवा पर हुए व्यय वहन के लिए द्वितीय किस्त के रूप में कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	विनोद साव पिता- कुलेश्वर साव ग्राम- घोरसारी टोला कचन नगर पो०- भदया थाना- बाराचट्टी जिला- गयाजी पिनकोड- 824201	Post Kidney Transplant Medicine	1,08,000	एक लाख आठ हजार स्वीकृत। (विभागीय सकल्प संख्या- 213(14), दिनांक-30.01.2024 के आलोक में)
			रु० 1,08,000/-	

- 2 उक्त अनुदान की राशि ₹ 1,08,000/- (एक लाख आठ हजार) के भुगतान के लिए उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स०-30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स० 0028464 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके खाता स०-44035236042, खाता धारक का नाम- VINOD KUMAR SAW, खाते का प्रकार- REGULAR SAVINGS BANK ACCOUNT, बैंक का नाम- STATE BANK OF INDIA, शाखा का नाम- PGIMER, CHANDIGARH, IFSC कोड स०- SBIN0001524 में अंतरित किया जाता है।
- 3 निदेश दिया जाता है कि उक्त राशि का उपयोग केवल दवा क्रय/सेवन हेतु ही किया जाए तथा अन्य किसी मद में राशि का उपयोग कदापि न किया जाए।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 286(14)

पटना, दिनांक 28/11/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक स० 0025064 को कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

सुरक्षित बैंकिंग के लिए कुछ सुझाव

- अपनी पासवर्ड में छोटे अक्षर, बड़े अक्षर, संख्या, विशेष चिह्न आदि का उपयोग करें। अक्षरों को अलग-अलग अक्षरों में लिखें।
- अपने परिवार/दोस्तों को अपने पासवर्ड के बारे में बताने की सलाह न दें।
- अपने पासवर्ड को कभी कहीं नोट करने से बचें।
- अपने पासवर्ड को कभी नोट करने से बचें।
- अपने पासवर्ड को कभी नोट करने से बचें।
- अपने पासवर्ड को कभी नोट करने से बचें।

Tips for Secure Banking

- Keep your password strong and complex with a combination of small and capital letters, digits and special characters.
- Do not share your personal details like Username, Password, OTP, Card Number, CVV, PIN etc. with anyone.
- Do not click on links received in SMS/Emails from unknown senders or on social networking sites.
- Do not install any application on the advice of strangers.
- SMS sent by SBI will always bear Short Codes "SBI, SB" only, e.g. SBIBNK, SBIINB, SBYONO, ATMSBI.
- Call our helpline number for assistance.

1800-11-22-11/1800-425-3800/18001234/1800111109.

1800-11-22-11/1800-425-3800/18001234/1800111109.

To report any suspicious activity, kindly email on report.phishing@sbi.co.in or call on the cybercrime helpline number 1930. For more information visit: <https://www.cybercrime.gov.in>, <https://bank.sbi/web/personal-banking/cyber-security>



Branch: PRIME, CHANDIGARH
 SECTOR 12,
 भारतीय स्टेट बैंक
 STATE BANK OF INDIA
 Email: SBI.01524@SBI.CO.IN
 Phone No.: 9779317
 IFSC: SBIN0001524

Branch: PRIME, CHANDIGARH
 SECTOR 12,
 भारतीय स्टेट बैंक
 STATE BANK OF INDIA
 Email: SBI.01524@SBI.CO.IN
 Phone No.: 9779317
 IFSC: SBIN0001524

Name: Mr. Vinod Kumar Saw
 S/O/M/O: KULDEWAR SAW
 CIP Number: 92105925729
 Account No.: 44035236042
 A/c Type: REGULAR SAVINGS BANK ACCOUNT
 Address: S/O: Kuldewar Saw, post-bhadaya tola-ka
 nonan nagar, chandigarh
 Dist: Chandigarh

MOP: SINGLE
 A/c Opening Dt: 20/04/2023
 Nom Reg No: 00000001005370
 Customer's PAN:
 Date of Issue: 20/04/2023
 PIN:

शाखा प्रबन्धक
 BRANCH MANAGER

स० स० 14/एम 11- 01/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

रघुवश कुमार
पिता- वीरचंद्र राय
ग्राम+पो०- पीरापुर मथुरा
थाना- गोरौल
जिला- वैशाली
पिनकोड- 844114

पटना दिनांक

विषय - मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष की प्राधिकृत समिति की दिनांक 21.01.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपका गुर्दा प्रत्यारोपण के पश्चात दवा पर हुए व्यय वहन के लिए द्वितीय किस्त के रूप में कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	रघुवश कुमार पिता- वीरचंद्र राय ग्राम+पो०- पीरापुर मथुरा थाना- गोरौल जिला- वैशाली पिनकोड- 844114	Post Kidney Transplant Medicine	1,08,000	एक लाख आठ हजार स्वीकृत। (विभागीय सकल्प संख्या- 213(14), दिनांक-30.01.2024 के आलोक में)
			रु० 1,08,000/-	

- उक्त अनुदान की राशि ₹ 1,08,000/- (एक लाख आठ हजार) के भुगतान के लिए उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स०-30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स० ~~0025067~~ द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके खाता स०-3590997905, खाता धारक का नाम- RAGHUVANSH KUMAR, खाते का प्रकार-, बैंक का नाम- CENTRAL BANK OF INDIA, शाखा का नाम- PIRAPUR MATHURA, IFSC कोड स०- CBIN0282467 में अंतरित किया जाता है।
- निदेश दिया जाता है कि उक्त राशि का उपयोग केवल दवा क्रय/सेवन हेतु ही किया जाए तथा अन्य किसी मद में राशि का उपयोग कदापि न किया जाए।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 287(14)

पटना, दिनाक 28/11/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स0.. 0025467 की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

